



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 108-2017/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JUNE 22, 2017 (JYAISTHA 31, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जून, 2017

संख्या 25/एस.टी.-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
- (2) ये 22 जून, 2017 से प्रवृत्त होंगे।
2. (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, — परिभाषाएं
  - (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19);
  - (ख) "प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप
  - (ग) "धारा" से अभिप्राय है अधिनियम की धारा;
  - (घ) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ होगा जो इसे विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यक) में दिया गया है;
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः दिए गए हैं।

## अध्याय II संयोजन नियम

संयुक्त उद्ग्रहण के लिए सूचना

3. (1) कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है जो धारा 10 के अधीन कर के भुगतान का विकल्प देता है, नियत दिन से पहले किन्तु उक्त दिन के पश्चात् या तीस दिन के अपश्चात् या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-01 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचना फाइल करेगा :

परंतु जहां प्ररूप जीएसटी सीएमपी-01 में सूचना नियत दिन के पश्चात् फाइल की जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन से कोई भी कर संगृहीत नहीं करेगा किन्तु उक्त दिन के पश्चात् की गई पूर्तियों के लिए पूर्ति का बिल जारी करेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने का विकल्प दे सकेगा, जिसे उक्त धारा के अधीन कर भुगतान करने की सूचना के रूप में समझा जाएगा ।

(3) कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने का विकल्प देता है, उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले, जिसके लिए पूर्वोक्त धारा के अधीन कर भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया गया है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से साठ दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में विवरण देगा ।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने के लिए उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल करता है, स्टॉक के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उस तारीख से पूर्ववर्ती दिन को, जिससे वह उक्त धारा के अधीन कर भुगतान करने का विकल्प देता है, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त उसके द्वारा धारित माल की आवक पूर्ति भी है, उस तारीख से, जिससे संयुक्त उद्ग्रहण के विकल्प का प्रयोग किया जाता है या ऐसी और अवधि के भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी सीएमपी-03 में देगा ।

(5) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम (1) या उपनियम (3) के अधीन किसी भी सूचना को उसी स्थायी लेखा संख्या पर रजिस्ट्रीकृत कारबार के सभी अन्य स्थानों की बाबत सूचना समझा जाएगा ।

संयुक्त उद्ग्रहण की प्रभावी तारीख

4. (1) धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने का विकल्प उस वित्तीय वर्ष के, जब नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन सूचना फाइल की गई है और वह नियत दिन जब उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल की गई है, आरंभ से प्रभावी होगा ।

(2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन सूचना पर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा और धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने के लिए उसका विकल्प नियम 10 के उपनियम (2) या (3) के अधीन नियत तारीख से प्रभावी होगा ।

संयुक्त उद्ग्रहण की शर्तें और निर्बंधना

5. (1) धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :-

- (क) वह न तो आकस्मिक कराधेय व्यक्ति है और न ही अनिवासी कराधेय व्यक्ति है;
- (ख) जहां विकल्प का प्रयोग नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन किया गया है, वहां उसके द्वारा नियत दिन को स्टॉक में धारित माल का अंतराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान क्रय नहीं किया गया है या भारत से बाहर किसी स्थान से आयात नहीं किया गया है या राज्य के बाहर स्थित उसकी शाखा से या राज्य के बाहर उसके अभिकर्ता या प्रधान से प्राप्त नहीं किया गया है;
- (ग) उसके द्वारा स्टॉक में धारित माल का किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से क्रय नहीं किया गया है और जहां क्रय किया गया है, वहां वह धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन कर का भुगतान करता है;

- (घ) वह माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति पर धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर का भुगतान करेगा ;
- (ङ) वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 10 की उपधारा (2) के खड (ड) के अधीन यथा अधिसूचित माल के विनिर्माण में नहीं लगा हुआ है ;
- (च) वह, उसके द्वारा जारी पूर्ति के बिल के ऊपरी सिरे पर "संयुक्त कराधेय व्यक्ति, पूर्तियों पर संगृहीत कर के लिए पात्र नहीं" शब्दों का उल्लेख करेगा ; और
- (छ) वह, उसके कारबार के मूल स्थान पर, प्रमुख स्थान पर और कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या साइन बोर्ड पर "संयुक्त कराधेय व्यक्ति" शब्दों का उल्लेख करेगा ।

(2) धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए हर वर्ष नई सूचना फाइल करना आवश्यक नहीं है और वह अधिनियम तथा इन नियमों, के उपबंधों के अध्याधीन उक्त धारा के अधीन कर का भुगतान करता रह सकेगा ।

6. (1) धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प तब तक विधिमान्य रहेगा, जब तक वह उक्त धारा और इन नियमों के अधीन उल्लिखित सभी शर्तों की पूर्ति करता है ।

संयुक्त उद्ग्रहण की विधिमान्यता

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति उस दिन से, जब वह धारा 10 या इस अध्याय के उपबंधों में उल्लिखित किसी शर्त की पूर्ति नहीं करता है, धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान करने का दायी होगा और उसके पश्चात् की गई प्रत्येक कराधेय पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेगा और वह ऐसी घटना के घटित होने के सात दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04 में स्कीम से प्रत्याहरण के लिए सूचना भी फाइल करेगा ।

(3) ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आशय संयुक्त स्कीम से प्रत्याहरण करने का है, ऐसे प्रत्याहरण की तारीख से पहले सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04 में आवेदन फाइल करेगा ।

(4) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने का पात्र नहीं था या उसने अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह प्ररूप जीएसटी सीएमपी-05 में ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस, ऐसे नोटिस की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर यह हेतुक दर्शित करने के लिए जारी कर सकेगा कि धारा 10 के अधीन कर भुगतान का विकल्प क्यों ने इंकार कर दिया जाए ।

(5) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से उपनियम (4) के अधीन जारी हेतुक दर्शित करने वाले नोटिस के प्ररूप जीएसटी सीएमपी-06 में उत्तर की प्राप्ति पर, समुचित अधिकारी ऐसे उत्तर की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, या तो विकल्प की तारीख से या ऐसे उल्लंघन से संबंधित घटना की तारीख से धारा 10 के अधीन या तो उत्तर को स्वीकार करते हुए या कर भुगतान करने के विकल्प को इंकार करते हुए प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07 में आदेश जारी करेगा ।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने उपनियम (2) के अधीन सूचना दी है या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण का आवेदन फाइल किया है या ऐसा व्यक्ति, जिसकी बाबत उपनियम (5) के अधीन प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07 में विकल्प के प्रत्याहरण का आदेश पारित किया गया है, सामान्य पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01 में, यथास्थिति, उस तारीख से, जिससे विकल्प का प्रत्याहरण किया गया है या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07 में पारित आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर एक विवरण इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकेगा, जिसमें उस तारीख को, जिसको विकल्प का प्रत्याहरण या इनकार किया गया है, उसके द्वारा स्टॉक में धारित इनपुटों के स्टॉक और अर्द्ध तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के ब्यौरे होंगे ।

(7) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम (5) के अनुसार उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण या धारा 10 के अधीन कर भुगतान करने के विकल्प के इनकार किए जाने की सूचना या आवेदन को उसी स्थायी लेखा संख्या पर रजिस्ट्रीकृत कारबार के अन्य सभी स्थानों की बाबत सूचना समझा जाएगा ।

संयुक्त उद्ग्रहण के कर की दर

7. धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण के लिए नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में विनिर्दिष्ट पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के प्रवर्ग धारा 10 के अधीन उक्त सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान करेंगे :-

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे विनिर्माताओं से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, भिन्न विनिर्माता	एक प्रतिशत
2	अनुसूची II के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियां करने वाले पूर्तिकार	ढाई प्रतिशत
3	धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	आधा प्रतिशत

### अध्याय III

#### रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

8. (1) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कटौती के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति, धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् "आवेदक" कहा गया है), रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पहले या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग क में अपना स्थायी लेखा संख्या, मोबाइल नम्बर, ई-मेल पता, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र घोषित करेगा :

परंतु किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई इकाई (इकाइयां) रखने वाला व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसकी अन्य इकाइयों से भिन्न किसी कारबार शीर्ष के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक आवेदन करेगा :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो कोई इनपुट सेवा वितरक है, ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक आवेदन करेगा ।

(2) (क) स्थायी लेखा संख्या को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस से सामान्य पोर्टल द्वारा आनलाइन विधिमान्य बनाया जाएगा ।

(ख) उपनियम (1) के अधीन घोषित मोबाइल नम्बर को उक्त मोबाइल नम्बर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ; और

(ग) उपनियम (1) के अधीन घोषित ई-मेल पते को उक्त ई-मेल पते पर भेजे गए एक पृथक वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ।

(3) स्थायी लेखा संख्या, मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते के सफलतापूर्वक सत्यापन पर एक अस्थायी निर्देश संख्या सृजित किया जाएगा और उसे आवेदक को उक्त मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते पर संसूचित किया जाएगा ।

(4) आवेदक, उपनियम (3) के अधीन सृजित निर्देश संख्या का उपयोग करके इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन, उक्त प्ररूप में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा ।

(5) उपनियम (4) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी-02 में, इलैक्ट्रॉनिक रूप से अभिस्वीकृति जारी की जाएगी ।

(6) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्य पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्या दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के पश्चात् ही उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी की जाएगी ।

9. (1) आवेदन समुचित अधिकारी को भेजा जाएगा, जो आवेदन और संलग्न दस्तावेजों की परीक्षा करेगा और यदि वे ठीक क्रम में पाए जाते हैं, तो आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया जाएगा।

आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन

(2) जहाँ नियम 8 के अधीन दिए गए आवेदन में या तो उक्त नियम के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना या किसी दस्तावेज के रूप में कमी पाई जाती है या जहाँ समुचित अधिकारी उसके साथ दिए गए आवेदन या दस्तावेजों में दी गई किसी सूचना की बाबत किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है, तो वहाँ वह आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-03 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस जारी कर सकेगा और आवेदक, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-04 में, इलैक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसा स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेज देगा।

व्याख्या.— इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "स्पष्टीकरण" पद के अंतर्गत प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग क में घोषित स्थायी लेखा संख्या, राज्य, मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते से भिन्न रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में घोषित विशिष्टियों में उपांतरण या सुधार भी है।

(3) जहाँ आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है, तो वहाँ वह ऐसे स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर सकेगा।

(4) जहाँ उपधारा (2) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में आवेदक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है या जहाँ समुचित अधिकारी दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है, तो वहाँ वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे आवेदन को नामंजूर कर देगा और आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा।

(5) यदि समुचित अधिकारी, —

(क) आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर ; या

(ख) उपनियम (2) अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर,

कोई कार्यवाई करने में असफल रहता है, तो रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा।

10. (1) धारा 25 की उपधारा (12) के उपबंधों के अधीन, जहाँ रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए आवेदन का नियम 9 के अधीन अनुमोदन कर दिया गया है, वहाँ आवेदक को कारबार के मुख्य स्थान और कारबार का (के) अतिरिक्त स्थान या स्थानों को दर्शित करते हुए प्ररूप जीएसटी आरईजी-06 में सामान्य पोर्टल पर एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाया जाएगा तथा माल और सेवा कर पहचान संख्या निम्नलिखित वर्णों के अधीन समनुदेशित किया जाएगा, अर्थात् :-

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाना

(क) राज्य कोड के लिए दो वर्ण ;

(ख) स्थायी लेखा संख्या या कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या के लिए दो वर्ण ;

(ग) अस्तित्व कोड के लिए दो वर्ण ; और

(घ) एक चैकसम वर्ण।

(2) जहाँ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसी तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है, तो वहाँ रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाता है।

(3) जहाँ आवेदक द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन, उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, तो वहाँ रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभावी तारीख, नियम 9 के उपनियम (1) या उपनियम (3) या उपनियम (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख होगी।

(4) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक प्रमाणपत्र समुचित अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा।

(5) जहाँ रजिस्ट्रीकरण नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन प्रदान किया गया है, तो वहाँ आवेदक को, रजिस्ट्रीकरण संख्या संसूचित की जाएगी और उपनियम (1) के अधीन इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नियम 9 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन दिन की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

किसी राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर बहु कारबार शीर्षों के लिये पृथक् रजिस्ट्रीकरण

11. (1) किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर बहु कारबार शीर्ष रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन उसके कारबार शीर्ष में से किसी कारबार के लिए एक पृथक् रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन, प्रत्येक शीर्ष के संबंध में पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) ऐसे व्यक्ति के पास धारा 2 के खंड (18) में यथा परिभाषित एक से अधिक कारबार शीर्ष हैं ;
- (ख) किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार शीर्ष को धारा 10 के अधीन कर भुगतान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि उसी व्यक्ति के अन्य कारबार शीर्ष में कोई एक धारा 9 के अधीन कर का भुगतान कर रहा है ;
- (ग) ऐसे व्यक्ति के पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकृत सभी कारबार शीर्ष, ऐसे व्यक्ति के दूसरे रजिस्ट्रीकृत कारबार शीर्ष को की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करेंगे और ऐसी पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेंगे ।

**व्याख्या.**— खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कोई भी कारबार शीर्ष, जिसे पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, धारा 10 के अधीन कर भुगतान के लिए अपात्र हो जाता है, तो वहां उक्त व्यक्ति के अन्य सभी कारबार शीर्ष उक्त धारा के अधीन कर भुगतान के लिए अपात्र हो जाएंगे ।

(2) कारबार शीर्षों के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का पात्र कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्येक शीर्ष के संबंध में **प्ररूप जीएसटी आरईजी-01** में पृथक् आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे ।

स्रोत पर कर की कटौती के लिए या स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना ।

12. (1) धारा 51 के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या धारा 52 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन **प्ररूप जीएसटी आरईजी-07** में प्रस्तुत करेगा ।

(2) समुचित अधिकारी सम्यक् सत्यापन के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा और आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-06** में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।

(3) जहां जांच किए जाने पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के अनुसरण में समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति, जिसे प्ररूप जीएसटी **आरईजी-06** में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, धारा 51 के अधीन स्रोत पर की कटौती का या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने का दायी नहीं रहा है, तो उक्त अधिकारी उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा और ऐसे रद्दकरण को उक्त व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप जीएसटी आरईजी-08** में संसूचित किया जाएगा :

परंतु समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए नियम 22 में यथा उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

अनिवासी कराधेय व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना ।

13 (1) कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति, अपने विधिमान्य पासपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप जीएसटी आरईजी-09** में कारबार के प्रारंभ से कम से कम पांच दिन पहले प्रस्तुत करेगा :

परंतु भारत से बाहर निगमित या स्थापित किसी कारबार अस्तित्व की दशा में, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसके कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर अस्तित्व की उस देश की सरकार द्वारा पहचान की जाती है, या यदि उपलब्ध हैं, तो उसके स्थायी लेखा संख्या सहित प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति कि रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्य पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्या दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के पश्चात् ही नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी की जाएगी ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे ।

(4) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन, उसके ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो विधिमाम्य स्थायी लेखा संख्या रखने वाला भारत में निवासी कोई व्यक्ति होगा ।

14. (1) भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन सामूहिक या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-10** में प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदक को, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन और ऐसे अधिकारी द्वारा, जो परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-06** में प्रदान किया जाएगा ।

15. (1) जहां रजिस्ट्रीकृत आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के उसके आवेदन में उपदर्शित रजिस्ट्रीकरण की अवधि का विस्तार चाहता है, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-11** में एक आवेदन साधारण पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति द्वारा उसको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण की विधिमाम्यता के समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन केवल धारा 27 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय पर अभिस्वीकृत किया जाएगा ।

16. (1) जहां, किसी सर्वेक्षण, जांच, निरीक्षण, तलाशी या इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियों के अनुसरण में, समुचित अधिकारी यह पाता है कि अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में विफल हो गया है, ऐसा अधिकारी, उक्त व्यक्ति को अस्थायी आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और **प्ररूप जीएसटी आरईजी-12** में एक आदेश जारी कर सकेगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) के अधीन अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, नियम 8 या नियम 12 में उपबंधित प्ररूप और रीति में रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा :

परन्तु जहां उक्त व्यक्ति अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के विरुद्ध अपील दाखिल करने में विफल हो जाता है, तो ऐसे मामले में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, अपीलिय प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए दायित्व उठाने वाले आदेश के जारी करने की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तन सहित, उप-नियम (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को लागू होंगे ।

(5) उप-नियम (4) के अधीन सत्यापन के अनुसरण में समनुदेशित माल और सेवा कर पहचान संख्या, उप-नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगी ।

17. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा 25 की उप-धारा (9) के उपबंधों के अनुसरण में विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया जाना अपेक्षित है, **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 13** में इलैक्ट्रॉनिक रूप में, सामान्य पोर्टल पर, या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से, नियम 8 में विनिर्दिष्ट रीति में, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) समुचित अधिकारी, **प्ररूप जीएसटी आरईजी-13** में एक आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर या उक्त प्ररूप भरने जाने के पश्चात् उक्त व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करेगा और आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरईजी-06** में प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रचालन की अवधि का विस्तार

अपने आप से रजिस्ट्रकरण

कतिपय विशिष्ट सत्ताओं को विशिष्ट पहचान संख्या का समनुदेशन

नाम पटल पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और माल तथा सेवा कर पहचान संख्या को प्रदर्शित करना

रजिस्ट्रीकरण में संशोधन।

18. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसके कारबार के मुख्य स्थान पर और ऐसे प्रत्येक कारबार के अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर, प्रमुख अवस्थिति पर उपदर्शित करेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके कारबार के प्रमुख स्थान और कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर, प्रवेश स्थान पर प्रदर्शित नाम पटल पर माल और सेवा कर पहचान संख्या प्रदर्शित करेगा।

19. (1) रजिस्ट्रेशन के लिए प्ररूप जीएसटी आरइजी- 01 या प्ररूप जीएसटी आरइजी - 07 या प्ररूप जीएसटी आरइजी - 09 या प्ररूप जीएसटी आरइजी - 10 या प्ररूप जीएसटी आरइजी - 13 विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन में दी गई विशिष्टियों में रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करते समय या समय-समय पर यथा संशोधित कोई परिवर्तन है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन से पंद्रह दिवस के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरइजी - 14 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित, आवेदन या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा:

परन्तु यदि (क) परिवर्तन निम्न से संबंधित है -

- (i) कारबार का विधिक नाम;
- (ii) कारबार के प्रमुख स्थान या कारबार के किसी अन्य अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का पता; या
- (iii) भागीदारी या निदेशकों, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यास बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य के जोड़ने, हटाने या सेवानिवृत्ति पर, कारबार के दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए उत्तरदायी है, -

धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का वारंट रद्दकरण नहीं होता तो समुचित अधिकारी सम्यक सत्यापन के पश्चात् प्ररूप जीएसटी आरइजी 14 में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर संशोधन को अनुमोदित करेगा और इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरइजी 15 में एक आदेश जारी करेगा और ऐसा वारंटिंग संशोधन की घटना घटने की तारीख से प्रभावी होगा;

- (ख) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में खंड(क) के उप-खंड (i) और उप-खंड (ii) से संबंधित परिवर्तन समान स्थायी खाता संख्या पर इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्राप्त सभी रजिस्ट्रीकरणों पर लागू होगा;
- (ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न किन्हीं विशिष्टियों से संबंधित परिवर्तन होता है, तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरइजी 14 में आवेदन प्रस्तुत करने पर संशोधित होगा;
- (घ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्थायी खाता संख्या में परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी कारबार के गठन में कोई परिवर्तन होने पर उक्त व्यक्ति नये रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप जीएसटी आरइजी-01 में आवेदन करेगा:

परन्तु यह और कि इस नियम, समय-समय पर यथासंशोधित, के अधीन प्रस्तुत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नम्बर या ई-मेल पते में कोई परिवर्तन, उक्त नियम के अधीन उपबंधित रीति से सामान्य पोर्टल के माध्यम से आनलाईन सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।

(2) जहां समुचित अधिकारी की राय है कि उप-नियम (1) में चाहा गया संशोधन या तो वारंटेड नहीं है या उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण या गलत हैं, तो वह प्ररूप जीएसटी आरइजी-14 में आवेदन प्राप्त करने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरइजी-03 में सूचना तामील कर सकेगा, उक्त सूचना की तामील के सात कार्य दिवसों के भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उप-नियम (1) में प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाए।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-नियम (2) के अधीन कारण बताओ सूचना का प्रत्युत्तर उक्त सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरइजी-04 में प्रस्तुत करेगा।

(4) जहां उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषप्रद नहीं है या उप-नियम (2) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में, उप-नियम (3) में विहित अवधि के भीतर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता, तो समुचित अधिकारी उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और प्ररूप जीएसटी आरइजी-05 से आदेश पारित कर सकेगा।



(5) यदि समुचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने में विफल रहता है, तो -

- (क) आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर; या  
(ख) उप-नियम (3) के अधीन कारण बताओं सूचना के प्रत्युत्तर प्राप्त होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर,

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र किए गए आवेदन के विस्तार तक संशोधित रहेगा और संशोधित प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

20. कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से भिन्न जिसे नियम 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है या वह व्यक्ति जिसे नियम 17 के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है, धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहता है, तो आवेदन **प्ररूप जीएसटी आरइजी-16** में इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस तारीख, जिसको रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, को स्टाक में धारित इनपुट ब्यौरे या स्टाक में धारित अर्द्ध तैयार या तैयार माल में अन्तर्विष्ट निवेश और स्टाक में धारित पूंजी माल, उस पर दायित्व ऐसे दायित्व के विरुद्ध किए गए संदाय के ब्यौरे, यदि कोई हों, वारंट रद्दकरण की घटना घटित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर सुसंगत दस्तावेजों से समर्थित आवेदन के साथ या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कोई आवेदन, कराधेय व्यक्ति की दशा में, जो रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख के एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पहले रजिस्ट्रीकृत किया गया है, स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21. किसी व्यक्ति को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी होगा, यदि उक्त व्यक्ति -

- (क) कारबार के घोषित स्थान से किसी कारबार का संचालन नहीं करता है; या  
(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में माल या सेवाओं की पूर्ति के बिना बीजक या रसीद जारी करता है।

22 (1) जहां समुचित अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, तो वह ऐसे व्यक्ति को **प्ररूप जीएसटी आरइजी-17** में नोटिस जारी करेगा, ऐसे नोटिस की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कारण बताओं की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाए।

(2) उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं नोटिस का प्रत्युत्तर उक्त-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरइजी-18** में प्रस्तुत करेगा।

(3) जहां व्यक्ति, जिसने उसके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं है या उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, समुचित अधिकारी, नियम 20 के अधीन प्रस्तुत आवेदन की तारीख या जैसा की मामला हो, उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं के प्रत्युत्तर की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरइजी-19** में आदेश जारी करेगा, रजिस्ट्रीकरण उसके द्वारा अवधारित और कराधेय व्यक्ति को अधिसूचित तारीख से, किसी कर, ब्याज या शास्ती जिसके अन्तर्गत धारा 29 की उप-धारा (5) के अधीन भुगतान के लिए दायी रकम भी है, के बकाया अदा करने का निदेश करते हुए रद्द करेगा।

(4) जहां उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषप्रद पाया जाता है, समुचित अधिकारी कार्यवाहियों को समाप्त करेगा और **प्ररूप जीएसटी आरइजी-20** में एक आदेश पारित करेगा।

(5) उप-नियम (3) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, मृत स्वत्वधारी, यदि आवेदन स्वयं स्वत्वधारी द्वारा प्रस्तुत की गई है, को लागू होंगे।

23. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर समुचित अधिकारी द्वारा रद्द किया जाता है, **प्ररूप जीएसटी आरइजी-21** में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन, ऐसे समुचित अधिकारी को, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा, यदि रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के कारण रद्द किया गया है जब तक कि ऐसी विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती और कर के बकाया के रूप में कोई रकम, ऐसी विवरणी की निबंधनों में ब्याज, शास्ति और उक्त विवरणी के संबंध में देय विलंब फीस के लिए देय रकम के साथ भुगतान नहीं की जाती।

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन

कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना

रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण

(2) (क) जहां समुचित अधिकारी का समाधान हो जाता है, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए पर्याप्त आधार है तो वह आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आरइजी-22** में आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहरित कर सकेगा।

(ख) समुचित अधिकारी, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, उन परिस्थितियों से भिन्न जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट है, **प्ररूप जीएसटी आरइजी-05** के आदेश द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और उसकी संसूचना आवेदक को देगा।

(3) समुचित अधिकारी, उप-नियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आदेश के पारित करने से पहले, आवेदक से यह अपेक्षा करते हुए कारण बताओं कि क्यों न उप-नियम (1) के अधीन प्रतिसंहरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए **प्ररूप जीएसटी आरइजी-23** में सूचना जारी करेगा और आवेदक **प्ररूप जीएसटी आरइजी-24** में नोटिस की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा।

(4) **प्ररूप जीएसटी आरइजी-24** में सूचना या स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी, आवेदक से ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में आवेदन का निपटान करेगा।

विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रव्रजन

24 (1) (क) प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर कटाने वाले व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत से भिन्न और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखने वाले, उनके ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर के विधिमान्यकरण द्वारा सामान्य पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से नामांकित किए जाएंगे।

(ख) खंड (क) के अधीन नामांकित किए जाने पर, उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर और **प्ररूप जीएसटी आरइजी-25** में उसमें माल और सेवा कर पहचान संख्या को सम्मिलित करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा जो सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

परन्तु कराधेय व्यक्ति, जिसे एकल स्थायी खाता संख्या के आधार पर विद्यमान विधियों के अधीन बहु रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है, को इस अधिनियम के अधीन केवल एक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

परन्तु यह और कि व्यक्ति, जो वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय-5 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रीकरण रखते हैं, उसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जहां वह विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, केवल एक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

(2) (क) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उप-नियम (1) के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उक्त आवेदन में, आवेदन विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक सत्यापित कोड के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी आरइजी-26** में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित सामान्य पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा।

(ख) खंड (क) में चाही गई सूचना तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो इस आधार पर आयुक्त द्वारा बढ़ायी गई है, के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) यदि आवेदन में प्रस्तुत सूचना और विशिष्टियां समुचित अधिकारी द्वारा सही और पूर्ण पायी जाती है, तो **प्ररूप जीएसटी आरइजी-06** में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) जहां उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां या सूचना यदि प्रस्तुत नहीं की गई है या सही अथवा पूर्ण नहीं पायी जाती, समुचित अधिकारी, **प्ररूप जीएसटी आरइजी-27** में कारण बताओ नोटिस की तामील करने के पश्चात् और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, उप-नियम (1) के अधीन प्रदत्त अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा और **प्ररूप जीएसटी आरइजी-28** में एक आदेश जारी करेगा:

परन्तु प्ररूप जीएसटी आरइजी - 27 में जारी कारण बताओ नोटिस प्ररूप जीएसटी आरइजी - 20 में आदेश जारी करके वापस ले सकेगा, यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं है जिसके लिए नोटिस जारी किया गया था ।

(4) किन्हीं विद्यमान विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं है, वह विमुक्त किए जाने के तीस दिवस की अवधि के भीतर, उसके विकल्प पर उसको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरइजी - 29 में इलैक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और समुचित अधिकारी, ऐसी जांच संचालित करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, उक्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा ।

25. जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, वह ऐसा सत्यापन कर सकेगा और सत्यापन रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों जिसके अन्तर्गत फोटो भी है, के साथ प्ररूप जीएसटी आरइजी - 30 में सामान्य पोर्टल पर ऐसे सत्यापन की तारीख से अगले पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर अपलोड की जाएगी ।

कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन ।

26 (1) सभी आवेदन, जिसके अन्तर्गत प्रत्युत्तर भी है, यदि कोई हो, सूचना, विवरणी जिसके अन्तर्गत जावक और आवक पूर्ति के ब्यौरे भी हैं या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन या इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित हस्ताक्षर या सत्यापन की किसी अन्य रीति के माध्यम से सत्यापित यथा विनिर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रमाणपत्र या ई-हस्ताक्षर के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा:

अधिप्रमाणन का ढंग ।

परन्तु यह और कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से सत्यापित दस्तावेज या आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) प्रत्येक दस्तावेज, जिसके अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तुत विवरणी भी है, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से हस्ताक्षरित या सत्यापित की जाएगी -

- (क) वैयक्तिक की दशा में वैयक्तिक स्वयं या जहां वह भारत से अनुपस्थित है उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से, और जहां वैयक्तिक उसके कार्यों को करने के लिए मानसिक रूप से अशक्त है उसके संरक्षक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;
- (ख) हिन्दु अविभक्त कुटुंब की दशा में, कर्ता और जहां कर्ता भारत से अनुपस्थित है या उसके कार्य करने के लिए मानसिक रूप से अशक्त है, कुटुंब के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा या ऐसे कर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
- (ग) कम्पनी की दशा में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
- (घ) सरकार या किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में उसकी ओर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा;
- (ङ) फर्म की दशा में, उसके भागीदारी द्वारा जो अवयस्क न हो या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
- (च) संगम की दशा में, संगम के किसी सदस्य द्वारा या व्यक्तियों या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
- (छ) न्यास की दशा में, न्यासी द्वारा या किसी न्यासी या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा या;
- (ज) अन्य व्यक्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम हो, या धारा 48 के उपबंधों के अनुसरण में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ।

(3) इस अध्याय में विनिर्दिष्ट सभी सूचनाएं, प्रमाणपत्र और आदेश समुचित अधिकारी द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से ऐसी सूचनाएं या प्रमाणपत्र या आदेशों को जारी करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा ।

## प्ररूप जीएसटी सीएमपी -01

[नियम 3(1) देखें]

## धारा 10 के अधीन कर भुगतान के लिए प्रज्ञापना (संविरचना उदग्रहण)

(केवल नियत तिथि को विद्यमान प्रव्रजन विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन/अनितम पहचान	
2. विधिक नाम	
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता	
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < निम्नलिखित में से चयन करें >	
(i) सरकार द्वारा यथाअधिसूचित ऐसे माल के विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	<input type="checkbox"/>
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता	<input type="checkbox"/>
(iii) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता	<input type="checkbox"/>
6. वित्तीय वर्ष जिससे संरचना स्कीम के विकल्प का लिया गया है	2017-18
7. अधिकारिता	केन्द्र राज्य
8. घोषणा – मैं घोषणा करता हूँ कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का पालन किया गया है।	
9. सत्यापन मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।  प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर  नाम  स्थान तिथि  पदनाम/प्रास्थिति	

## प्ररूप जीएसटीसीएमपी -02

[नियम 3(2) देखें]

## धारा 10 के अधीन कर भुगतान के लिए प्रज्ञापना (संविरचना उदग्रहण)

(अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता	
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < निम्नलिखित में से चयन करें >	
(i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	<input type="checkbox"/>
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता	<input type="checkbox"/>
(iii) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता	<input type="checkbox"/>
6. वित्तीय वर्ष जिससे संरचना स्कीम के विकल्प का लिया गया है	
7. अधिकारिता	केन्द्र राज्य
8. घोषणा – मैं घोषणा करता हूँ कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का पालन किया गया है।	
9. सत्यापन मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।  प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर  नाम  स्थान : तिथि :	
	पदनाम/प्रास्थिति

## प्ररूप जीएसटी सीएमपी -03

[नियम 3(4) देखें]

संविरचना उदग्रहण के विकल्प की तिथि को स्टॉक के ब्यौरों की प्रज्ञापना  
(केवल नियत तिथि को विद्यमान प्रव्रजन विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता	
5. धारा 10 के अधीन कर भुगतान के लिए फाइल किए गए आवेदन के ब्यौरें	(i) आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)
	(ii) फाइल करने की तिथि
6. अधिकारिता	केन्द्र राज्य

7. विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से किए गए क्रय का स्टॉक

क्रम संख्या	जीएसटीआईएन/टीआईएन	प्रदायकर्ता का नाम	बिल/बीजक संख्या	तिथि	स्टॉक का मूल्य	मूल्य वर्धित कर (वैट)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	सेवा-कर (यदि लागू हो)	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
कुल योग									

8. विद्यमान विधि के अधीन अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से किए गए क्रय का स्टॉक

क्रम संख्या	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम	पता	बिल/बीजक संख्या	तिथि	स्टॉक का मूल्य	मूल्य वर्धित कर (वैट)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	सेवा-कर (यदि लागू हो)	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
कुल योग									

9. संदत्त कर के ब्यौर	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर
	रकम		
	विकलन प्रविष्टि संख्या		

10. सत्यापन

मैं \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

स्थान  
तिथि

पदनाम/प्रास्थिति

## प्ररूप जीएसटी सीएमपी -04

[नियम 6(2) देखें]

## संविरचना उदग्रहण से प्रत्याहण के लिए प्रज्ञापना/आवेदन

1. जीएसटीआईएन			
2. विधिक नाम			
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो			
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता			
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग			
(iv) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	<input type="checkbox"/>		
(v) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता	<input type="checkbox"/>		
(vi) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता	<input type="checkbox"/>		
6. कारबार की प्रकृति			
7. तिथि जिससे संविरचना स्कीम से प्रत्याहरण चाहा गया है	दिन	मास	वर्ष
8. अधिकारिता	केन्द्र	राज्य	
9. संविरचना स्कीम से प्रत्याहण के कारण			
10. सत्यापन मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।			
स्थान	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर		
तिथि	नाम		
	पदनाम/प्रास्थिति		

**टिप्पण-** उस तिथि से, जिससे प्ररूप जीएसटी आइटीसी-01 में संविरचना विकल्प का प्रत्याहण किया गया है, पूर्ववर्ती तिथि को उपलब्ध स्टॉक पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पृथक रूप से स्टॉक विवरण दिया जा सकेगा।

## प्ररूप जीएसटी सीएमपी -05

[नियम 6(4) देखें]

संदर्भ संख्या &lt;&lt; ... &gt;&gt;

&lt;&lt; तिथि &gt;&gt;

सेवा में

जीएसटीआईएन

नाम

पता

## धारा 10 के अधीन कर भुगतान के विकल्प की प्रत्याख्यान के लिए

मेरी जानकारी में आई ऐसी सूचना के आधार पर यह प्रतीत होता है कि आप ने धारा 10 के अधीन संरचना स्कीम के उपभोग के लिए आवश्यक शर्तों और निर्बंधनों का उल्लंघन किया है। अतः मैं आपको निम्नलिखित कारणों से उक्त धारा के अधीन **भुगतान** के विकल्प प्रत्याख्यान करता हूँ। :-

1

2

3

....

? आपको इस नोटिस की तामील की तिथि से पंद्रह कार्यदिवसों के भीतर इस नोटिस का उत्तर देने का निदेश दिया जाता है।

? आपको दिन/मास/वर्ष को .....बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर होने का निदेश दिया जाता है।

यदि आप नियत तिथि के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तिथि और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए हाजिर होने में असफल रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेख और गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा।

हस्ताक्षर

उचित अधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता

स्थान



## प्ररूप जीएसटी सीएमपी -06

[देखिये नियम 6(5)]

## कारण बताओं नोटिस का उत्तर

1.	जीएसटीआईएन	
2.	कारण बताओं नोटिस के ब्यौरे	संदर्भ संख्या
		तिथि
3.	विधिक नाम	
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
5.	कारबार के प्रधान स्थान का पता	
6.	नोटिस का उत्तर	
7.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची	
8.	सत्यापन	<p>मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर</p> <p>तिथि</p> <p>स्थान</p>

## टिप्पण –

- उत्तर 500 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए यदि वह 500 शब्दों से अधिक है तो उसे पृथक् रूप से अपलोड किया जाए।
- समर्थनकारी दस्तावेजों, यदि कोई हों, दस्तावेजों को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किया जाए।

## प्ररूप जीएसटी सीएमपी -07

[देखिये नियम 6(6)]

संदर्भ संख्या &lt;&lt; ... &gt;&gt;

&lt;&lt; तिथि &gt;&gt;

सेवा में

जीएसटीआईएन

नाम

पता

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)

तिथि -

## कारण बताओं नोटिस के उत्तर को स्वीकार करने/नामंजूर करने के लिए आदेश

यह संदर्भ संख्या.....तिथि..... द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में फाइल किए गए आपके तिथि..... के उत्तर के संदर्भ में है। आपके उत्तर की परीक्षा की गई और उसे समाधानप्रद रूप में पाया गया है और अतः, संविरचना स्कीम के अधीन कर भुगतान के विकल्प को जारी रखा जाएगा। उक्त कारण बताओ नोटिस रद्द किया जाता है।

या

यह संदर्भ संख्या.....तिथि..... द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में फाइल किए गए आपके तिथि..... के उत्तर के संदर्भ में है। आपके उत्तर की परीक्षा की गई और उसे समाधानप्रद रूप में नहीं पाया गया है और अतः, संविरचना स्कीम के अधीन कर भुगतान के विकल्प का निम्नलिखित कारणों से << >> से प्रत्याख्यान किया जाता है।

&lt;&lt; पाठ &gt;&gt;

या

आपने कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर फाइल नहीं किया है; या

आप सुनवाई के लिए नियत तिथि को हाजिर नहीं हुए हैं।

अतः निम्नलिखित कारणों से << तिथि >> से संविरचना स्कीम के अधीन आपके कर भुगतान के विकल्प का प्रत्याख्यान किया जाता है :

&lt;&lt; पाठ &gt;&gt;

हस्ताक्षर

समुचित अधिकारी का नाम

तिथि

पदनाम

स्थान

अधिकारिता

## प्ररूप जीएसटी आरईजी -01

[देखिये नियम 8(1)]

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या विपर्ययन सेवाओं का प्रदाय करने वाला कोई व्यक्ति)

## भाग - क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - जिला - ▽

(i)	कारबार का विधिक नाम: (यथाउल्लिखित स्थायी लेखा संख्या)	
(ii)	स्थायी लेखा संख्यांक : (कारबार का स्थायी लेखा संख्यांक; भागीदारी समुत्थान की दशा में व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक प्रविष्ट करें)	
(iii)	ई-मेल पता :	
(iv)	मोबाइल संख्या :	
टिप्पण - भाग-ख को भरने हेतु कार्रवाई से पूर्व ऊपर दी गई सूचना ऑनलाइन सत्यापन के अध्याधीन होगी। आवेदन फाइल करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अपना मोबाइल संख्या और ई-मेल पता देना होगा।		
<b>भाग-ख</b>		
1.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
2.	कारबार का गठन (समुचित का चयन करें)	
(i)	स्वत्वधारी	?
(ii)	भागीदारी	?
(iii)	हिंदु अविभक्त कुटुम्ब	?
(iv)	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	?
(v)	पब्लिक लिमिटेड कंपनी	?
(vi)	सोसायटी/क्लब/न्यास/ व्यक्ति संगम	?
(vii)	सरकारी विभाग	?
(viii)	पब्लिक सैक्टर उपक्रम	?
(ix)	असमिति कंपनी	?
(x)	सीमित दायित्व भागीदारी	?
(xi)	स्थानीय प्राधिकारी	?
(xii)	कानूनी निकाय	?
(xiii)	रजिस्ट्रिकृत विदेशी कंपनी (भारत में)	?
(xiv)	रजिस्ट्रिकृत विदेशी कंपनी (भारत में)	?
(xv)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	?
3.	राज्य का नाम	▲ जिला ▲
4.	अधिकारिता	राज्य केन्द्र सैक्टर, सर्कल, वार्ड, युनिट आदि अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
5.	संविचन के लिए विकल्प	हां ? नहीं ?

6. संविरचना की घोषणा			
<input type="checkbox"/> मैं यह घोषणा करता हूँ कि पूर्वोक्त कारबार में अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का या संविरचना स्कीम के अधीन कर भुगतान के विकल्प के लिए नियमों का पालन किया गया है।			
6.1 रजिस्ट्रिकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < चैकबॉक्स में चिन्हित करें>			
(i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, जिसके लिए विकल्प उपलब्ध नहीं हैं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता			
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता			
(iii) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता।			
7.	कारबार के प्रारंभ की तिथि	दिन/मास/वर्ष	
8.	तिथि जिसको रजिस्टर किए जाने का दायित्व उद्भूत हुआ है	दिन/मास/वर्ष	
9.	क्या आपने नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रिकरण के लिए आवेदन किया है	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
10.	यदि क्रम संख्या 9 में 'हां' का चयन किया गया है तो वह अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रिकरण अपेक्षित है	से दिन/मास/वर्ष	तक दिन/मास/वर्ष
11.	यदि क्रम संख्या 9 में 'हां' का चयन किया गया है तो रजिस्ट्रिकरण की अवधि के दौरान प्राक्कलित प्रदायों और प्राक्कलित शुद्ध कर दायित्व।		
क्रम संख्या	कर का प्रकार	आवर्त (रूप में)	शुद्ध कर दायित्व (रूप में)
(i)	एकीकृत कर		
(ii)	केन्द्रीय कर		
(iii)	राज्य कर		
(iv)	संघ राज्यक्षेत्र कर		
(v)	उपकर		
	कुल योग		
	भुगतान के ब्यौरे		
	चालान पहचान संख्यांक	तिथि	रकम
12.	क्या आपने विशेष आर्थिक जोन इकाई के रूप में रजिस्ट्रिकरण के लिए आवेदन किया है ?	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
	(i) विशेष आर्थिक जोन के नाम का चयन करें		▽
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तिथि		
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम		
13.	क्या आपने विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के रूप में रजिस्ट्रिकरण के लिए आवेदन किया है ?	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
	(i) विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के नाम का चयन करें		▽

	(ii) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तिथि		
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम		
14.	रजिस्ट्रिकरण अभिप्राप्त करने कारण:		
	(i) सीमाखन	(viii) दो या अधिक रजिस्ट्रिकृत व्यक्तियों का विलियन/समामेलन	
	(ii) अंतरराज्यिक प्रदाय	(ix) इनपुट सेवा वितरक	
	(iii) धारा 9(3) या 9(4) के अधीन माल या सेवाओं के प्राप्तकर्ता के रूप में कर भुगतान का दायित्व।	(x) धारा 9(5) के अधीन कर भुगतान के लिए दायी व्यक्ति	
	(iv) ऐसे कारबार का अंतरण जिसमें कारबार के स्वामित्व का परिवर्तन हो (यदि अंतरीति रजिस्ट्रिकृत अस्तित्व नहीं है)	(xi) ई-काम्स पोर्टल के माध्यम से प्रदाय करने वाला कराधेय व्यक्ति	
	(v) स्वत्वधारी की मृत्यु (यदि उत्तरवर्ती रजिस्ट्रिकृत अस्तित्व नहीं है)	(xii) स्वैच्छिक आधार	
	(vi) निर्विलयन	(xiii) अन्य कराधेय व्यक्ति (व्यक्तियों) की ओर से माल और/या सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति	
	(vii) कारबार के गठन में परिवर्तन	(xiv) अन्य (जो ऊपर नहीं आते हैं) – विनिर्दिष्ट करें	
15.	विद्यमान रजिस्ट्रिकरण उपदर्शित करें जहां कहीं लागू हों।		
	मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रिकरण संख्यांक		
	केन्द्रीय विक्रय कर रजिस्ट्रिकरण संख्यांक		
	प्रवेश कर रजिस्ट्रिकरण संख्यांक		
	मनोरंजन कर रजिस्ट्रिकरण संख्यांक		
	होटल और विलासिता रजिस्ट्रिकरण संख्यांक		
	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रजिस्ट्रिकरण संख्यांक		
	सेवा-कर रजिस्ट्रिकरण संख्यांक		
	कारपोरेट पहचान संख्यांक/विदेशी कंपनी रजिस्ट्रिकरण संख्यांक		
	सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक		
	आयातकर्ता/निर्यातकर्ता कोड संख्यांक		
	चिकित्सीय और प्रसाधन निर्मिति (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रिकरण संख्यांक		
	दुकानों और संस्थापन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रिकरण संख्यांक		
	अस्थायी पहचान, यदि कोई हो		
	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

16.	(क) कारबार के मुख्य स्थान का पता				
भवन संख्या /फ्लैट संख्या			मंजिल संख्या		
परिसर/भवन का नाम			सड़क/गली		
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव			जिला		
तालुक/ब्लॉक					
राज्य			पिन कोड		
अक्षांतर			देशांतर		
(ख) संपर्क सूचना					
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष संख्या		एसटीडी	
मोबाईल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या		एसटीडी	
(ग) परिसर की प्रकृति					
स्वामित्व	पट्टा	किराए पर	सहमति	हिस्सेदार	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
(घ) ऊपर वर्णित परिसर पर किए जा रहे कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति (जो लागू हों कृपया उन्हें चिन्हित करें)					
फैक्टरी/विनिर्माण	?	थोक कारबार	?	खुदरा कारबार	?
भांडागार/डिपो	?	बंधित भांडागार	?	सेवाओं के प्रदायकर्ता	?
कार्यालय/विक्रय कार्यालय	?	पट्टा कारबार	?	माल या सेवाओं का प्राप्तिकर्ता	?
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	?	संकर्म संविदा	?	निर्यात	?
आयात	?	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	?		

## 17. बैंक खाता (खातों) का ब्यौरा

कारबार चलाने के लिए आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खातों की कुल संख्या (10 बैंक खातों तक की रिपोर्ट दी जाए)	
--	--

## बैंक खाता 1 का ब्यौरा

खाता संख्या															
खाते का प्रकार											आईएफएससी				
बैंक का नाम															
शाखा का पता	ऑटो पोपुलेटड द्वारा किया जाए (संपादित विधि)														

टिप्पण .- और अधिक खातों को जोड़ें -----

## 18. कारबार द्वारा प्रदायित माल का ब्यौरा

कृपया 5 उच्च श्रेणी के माल को विनिर्दिष्ट करें		
क्रम संख्या	माल का विवरण	एचएसएन कोड (चार अंको में)
(i)		
(ii)		
...		
(v)		

## 19. कारबार द्वारा प्रदायित सेवाओं का ब्यौरा।

कृपया 5 उच्च श्रेणी की सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें		
क्रम संख्या	सेवाओं का विवरण	एचएसएन कोड (चार अंको में)
(i)		
(ii)		
...		
(v)		

## 20. कारबार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का ब्यौरा

अतिरिक्त स्थानों की संख्या	

## परिसर 1

## (क) कारबार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा

भवन संख्या /फ्लैट संख्या		तल संख्या	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
शहर/नगर/परिक्षेत्र/गांव		जिला	
ब्लॉक/तालुक			
राज्य		पिन कोड	
अक्षांश		देशांतर	
(ख) संपर्क सूचना			
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष संख्या	एसटीडी
मोबाईल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या	एसटीडी

(ग) परिसर की प्रकृति					
स्वामित्व	पट्टा	किराए पर	सहमति	सांझा की हुई	अन्य
					(विनिर्दिष्ट करें)
(घ) ऊपर वर्णित परिसरों पर किए जा रहे कारबार के कार्यकलापों की प्रकृति (जो लागू हों कृपया उन्हें चिह्नित करें)					
फैक्टरी/विनिर्माण		थोक कारबार		खुदरा कारबार	
भांडागार/डिपो		बंधित भांडागार		सेवाओं के प्रदायकर्ता	
कार्यालय/विक्रय कार्यालय		पट्टा कारबार		माल या सेवाओं का प्राप्तिकर्ता	
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी		संकर्म संचिदा		निर्यात	
आयात		अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			

21. स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्ता/प्रबंधन निदेशक और न्यास के संगम/बोर्ड के प्रबंधन समिति के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्यों का ब्यौरा।

ब्यौरे	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तिथि	दिन/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष,स्त्री,अन्य>
मोबाईल संख्या		ई-मेल पता	
टेलीफोन संख्या एसटीडी सहित			
पदनाम/हैसियत		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई है)	
स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/ नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशी नागरिक की दशा में)	
आवासीय पता			
भवन संख्या/फ्लैट संख्या		तल संख्या	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
शहर/नगर/परिक्षेत्र/गांव		जिला	
तालुक/ब्लॉक			
राज्य		पिन कोड	
देश (विदेशी नागरिक की दशा में)		ज़िप कोड	



## 22. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ब्यौरा

प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए चैक बॉक्स



हस्ताक्षरी संख्या 1 का ब्यौरा

ब्यौरे	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तिथि	दिन/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष,स्त्री,अन्य>
मोबाईल संख्या		ई-मेल पता	

टेलीफोन नंबर, एसटीडी के साथ			
पदनाम/ हैसियत		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी खाता संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं ?	हां/नहीं	पासपोर्ट नंबर (विदेशियों के मामले में)	

भारत में आवासीय पता			
भवन संख्या/ फ्लैट संख्या		तल संख्या	
परिसर / भवन का नाम		सड़क/ गली	
तालुका /ब्लाक			
शहर/ कस्बा /परिक्षेत्र गांव		जिला	
राज्य		पिन कोड	

## 23. प्राधिकृत प्रतिनिधि का ब्यौरा

अभ्यावेशन आई डी, यदि उपलब्ध हो			
निम्नलिखित ब्यौरे दें, यदि अभ्यावेशन आई डी उपलब्ध न हो			
स्थायी खाता संख्या			
आधार, यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध न हो			
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
व्यक्ति का नाम			
पदनाम/ हैसियत			
मोबाइल नंबर			
ई मेल पता			
टेलीफोन नंबर, एस टी डी के साथ		फैक्स नंबर, एस टी डी के साथ	

## 24. विनिर्दिष्ट सूचना दें

वृत्तिक कर नामांकन कोड संख्या

वृत्तिक कर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या

उत्पाद शुल्क अनुज्ञप्ति संख्या और उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम से उत्पाद शुल्क की अनुज्ञप्ति है

(क) क्षेत्र 1

(ख) क्षेत्र 2

(ग) ....

(घ) .....

(ड.) क्षेत्र

## 25. दस्तावेज अपलोड करना

प्ररूप में क्षेत्र मूल्य के अनुसार ग्राहक-अपेक्षित दस्तावेजों की सूची को अपलोड करने (नियम 8 में निर्दिष्ट) की अपेक्षा की जाती है।

## 26. सहमति

मैं आधार संख्या के धारक की और से < प्ररूप में दिये गए आधार संख्या के आधार पर पहले से भरे गए> माल और सेवा कर नेटवर्क को अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से अपना ब्यौरा प्राप्त करने हेतु सहमति देता हूँ। माल और सेवा कर नेटवर्क ने मुझे सूचित किया है कि पहचान की जानकारी का प्रयोग केवल आधार धारक की पहचान मान्य करने के लिए किया जाएगा और केवल अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पहचान डेटा संग्रह के साथ साझा किया जाएगा।

## 27. सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूची मेरी जानकारी तथा विश्वास में सत्य और ठीक है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....

तिथि

पदनाम / हैसियत .....

## अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :-

1.	<p>फोटो (जहां आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है)</p> <p>(क) स्वत्वधारी समुत्थान – स्वत्वधारी</p> <p>(ख) भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी – प्रबंध/प्राधिकृत/ पदामिहित भागीदार (सभी भागीदारों के व्यक्तिगत ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु प्रबंध भागीदार सहित केवल दस भागीदारों की फोटो प्रस्तुत की जाएगी)</p> <p>(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब – कर्त्ता</p> <p>(घ) कंपनी – प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति</p> <p>(ङ) न्यास – प्रबंध न्यासी</p> <p>(च) व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय – प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के व्यक्तिगत ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु अध्यक्ष सहित केवल दस सदस्यों की फोटो प्रस्तुत की जाएगी)</p> <p>(छ) स्थानीय प्राधिकारी – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य</p> <p>(ज) कानूनी निकाय – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य</p> <p>(झ) अन्य – भारसाधक व्यक्ति</p>
2.	<p>कारबार का गठन : भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख, सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य, आदि की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/गठन का प्रमाण।</p>

3.	<p>कारबार के मुख्य स्थान का प्रमाण :</p> <p>(क) स्वयं के परिसर के लिए-- परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज, यथा नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति ।</p> <p>(ख) भाड़े या पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए-- पट्टाकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ वैध किराए/पट्टा करार की प्रति ।</p> <p>(ग) ऊपर (क) और (ख) के अंतर्गत न आने वाले परिसरों के लिए— सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ सहमति पत्र की प्रति । शेर की गई संपत्तियों के लिए भी, यही दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे ।</p> <p>(घ) भाड़े पर लिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए, जहां किराए/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है, वहां परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, विद्युत बिल की प्रति के साथ उस प्रभाव का शपथपत्र ।</p> <p>(ङ) यदि कारबार का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन का विकासकर्ता है, तो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को अपलोड करना अपेक्षित है ।</p>
4.	<p>बैंक खाते से संबंधित प्रमाण :</p> <p>बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति या रद्द किए गए चेक की, जिसमें स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता संख्या, एम.आई.सी.आर. कोड, आई.एफ.एस.सी. और कोड सहित शाखा विवरण अंतर्विष्ट हो, स्कैन प्रति ।</p>
5.	<p>प्राधिकारपत्र प्ररूप :-</p> <p>आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के संकल्प या प्राधिकारपत्र की प्रति निम्नलिखित प्ररूप में भरे जाएंगे :</p> <p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक्) (स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्त्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य आदि)</p> <p>मैं/हम ..... (नाम) ..... (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) का ..... (भागीदार/ कर्त्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य आदि), सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान तथा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि &lt;&lt; प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, (प्रास्थिति/पदनाम) &gt;&gt; को संकल्प संख्या ..... तिथि ..... द्वारा (प्रति इसके साथ प्रस्तुत), &lt;&lt; माल और सेवा कर पहचान संख्या – कारबार का नाम &gt;&gt;, कारबार के लिए, जिसके लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल किया जा रहा है, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । इस कारबार के संबंध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे ।</p> <p>हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर</p> <p>नाम :</p> <p>पदनाम/हैसियत:</p> <p>(स्वत्वधारी/कारबार अस्तित्व का नाम)</p>
	<p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अभिस्वीकृति</p> <p>मैं &lt;&lt; (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) &gt;&gt; उपर्युक्त निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी अभिस्वीकृत देता हूँ और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे ।</p>
स्थान :	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
तिथि :	(नाम) प्रास्थिति/हैसियत:

**रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश**

- व्यक्ति का नाम, कारबार के स्थायी लेखा संख्यां में अभिलिखित के अनुसार दर्ज करे। स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी का नाम विधिक नाम के सामने दर्ज करे और स्वत्वधारी का स्थायी लेखा संख्यां उल्लिखित करे। स्थायी लेखा संख्यां आय-कर डाटाबेस से सत्यापित किया जाएगा।
- सत्यापन और भावी संसूचना के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराएं, जो आवेदन के भाग ख को भरे जाने से पूर्व, पृथक रूप से भेजे जाने वाले एक समय पासवर्ड द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- कारबार द्वारा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता घोषित किए जाने की दशा में, आवेदक द्वारा स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्यों आदि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी आवश्यक है।
- निम्नलिखित व्यक्ति नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को अंकीय हस्ताक्षर कर सकते हैं :-

कारबार का गठन	व्यक्ति, जो आवेदन पर अंकीय हस्ताक्षर कर सकते हैं
स्वत्वधारिता	स्वत्वधारी
भागीदारी	प्रबंध/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
सोसाइटी/क्लब/ट्रस्ट/व्यक्ति संगम	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
पब्लिक सेक्टर उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
असीमित कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाभिहित भागीदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	भारसाधक व्यक्ति

- प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में जानकारी वैकल्पिक है। यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि नामांकित है तो कृपया सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध सूची से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का चयन करें, अन्यथा ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराएं।
- राज्य विशिष्ट सूचना केवल संबंधित राज्य के लिए ही सुसंगत है।
- नीचे वर्णित व्यक्तियों द्वारा भरे गए आवेदन अंकीय रूप से हस्ताक्षरित होंगे :-

क्रम संख्या	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित हस्ताक्षर का प्रकार
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी	अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक

	<p>पब्लिक सेक्टर उपक्रम</p> <p>असीमित कंपनी</p> <p>सीमित दायित्व भागीदारी</p> <p>विदेशी कंपनी</p> <p>विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी</p>	
2.	उपर्युक्त से अन्यथा	<p>अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक</p> <p>ई-हस्ताक्षर</p> <p>या</p> <p>कोई अन्य ढंग, जो अधिसूचित किया जाए।</p>

8. स्थायी लेखा संख्यां, आधार, निदेशक पहचान संख्यां, चालान पहचान संख्यां से संबंधित सभी सूचना, प्रणाली द्वारा आनलाइन विधिमान्य की जाएगी और सभी भरी गई सूचना के सफलतापूर्वक विधिमान्य किए जाने के पश्चात् अभिस्वीकृति प्राप्ति संख्या जनित की जाएगी।
9. आनलाइन फाईल किए गए आवेदन की प्रास्थिति, अभिस्वीकृत पर उपदर्शित आवेदन संदर्भ संख्या (ए.आर.एन.), सामान्य पोर्टल पर प्रविष्ट करके, देखी जा सकती है।
10. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाईल करने के लिए कोई फीस भुगतान योग्य नहीं है।
11. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होना चाहिए।
12. किसी व्यक्ति को, जिसके किसी राज्य के भीतर बहु शीर्षका कारबार हैं, जो अपने किसी कारबार शीर्षका के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण चाहता है, प्रत्येक शीर्षका के संबंध में पृथक् रूप से आवेदन करना आवश्यक होगा।
13. आवेदन के अनुमोदन के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
14. आवेदन के भाग क में प्रारंभिक ब्यौरे सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के पश्चात् अस्थायी संदर्भ संख्यां (टी.आर.एन.) आबंटित किया जाएगा, जिसका आवेदन के भाग ख में ब्यौरे भरने के लिए उपयोग किया जाएगा। अस्थायी संदर्भ संख्यां सामान्य पोर्टल पर 15 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी।
15. कोई व्यक्ति, जो नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने के लिए, प्ररूप जी.एस.टी. आर.ई.जी. 01 के भाग ख में, विकल्प दे सकेगा, जो उक्त धारा के अधीन कर का भुगतान करने की सूचना समझी जाएगी।

**प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-2**

(देखिए नियम 8(5))

**अभिस्वीकृति**

आवेदन संदर्भ संख्या

आपने सफलतापूर्वक आवेदन फाईल कर दिया है और आवेदन के ब्यौरे निम्नानुसार है :

फाइल करने की तिथि :

फाइल करने का समय :

माल और सेवा कर पहचान संख्या, यदि उपलब्ध हो :

विधिक नाम :

व्यापार नाम (यदि लागू हो):

प्ररूप संख्या :

प्ररूप वर्णन :

केन्द्र अधिकारिता :

राज्य अधिकारिता :

फाइल किया गया :

स्थायी संदर्भ संख्या, यदि कोई हो :

भुगतान के ब्यौरे : चालान पहचान संख्या :

तिथि :

राशि :

यह सिस्टम जनरेटेड अभिस्वीकृति है और किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है :

\*केवल आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति के मामले में लागू।

## जी.एस.टी. आरईजी-3 प्ररूप

(देखिए नियम 9(2))

संदर्भ संख्या

तिथि

सेवा में,

आवेदक का नाम,

पता,

माल और सेवाकार पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)

आवेदन संदर्भ संख्या

## रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दकरण के लिए आवेदन से संबंधित अतिरिक्त जानकारी/ स्पष्टीकरण/दस्तावेजों के लिए नोटिस

यह आपके एआरएन तिथि द्वारा फाइल किए गए रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दकरण के लिए आवेदन के संदर्भ अनुसार है। विभाग ने आपके आवेदन की जांच की है और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं है :

- 1.
- 2.
- 3.

आप तिथि ..... तक अपना जबाव प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किए जाते हैं

आप तिथि ..... को ..... समय पर अधोहस्ताक्षरित के समक्ष उपस्थित होने के लिए निदेशित किए जाते हैं।

यदि निर्धारित तिथि तक जबाव नहीं आता है तो आपका आवेदन अस्वीकृत होने का दायी होगा।

कृपा नोट करें कि इस मामले में कोई और नोटिस/अनुस्मारक जारी नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर

उचित अधिकारी का नाम

पद नाम

अधिकारिता

\*नए रजिस्ट्रीकरण आवेदन के लिए लागू नहीं।

## प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-04

(देखिए नियम 9(2))

## रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रहकरण के लिए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज

1.	नोटिस के ब्यौरे	संदर्भ संख्या		तिथि	
2.	आवेदन के ब्यौरे	संदर्भ संख्या		तिथि	
3.	जीएसटीआईएन, यदि लागू हो				
4.	कारबार का नाम (विधिक)				
5.	व्यापार नाम, यदि कोई हो				
6.	पता				
7.	क्या रजिस्ट्रीकरण या फील्ड के लिए आवेदन में कोई उपांतरण अपेक्षित है				हां नहीं (एक पर निशान लगाएं)
8.	अतिरिक्त जानकारी				
9.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची				
10.	सत्यापन				
<p>मैं.....सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर नाम पद नाम/हैसियत</p> <p>स्थान : तिथि :</p>					

## टिप्पण :

- नए रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल रजिस्ट्रीकरण आवेदन संपादित ढंग में उपलब्ध रहेगा यदि मद सात में विकल्प हां चुना है।
- रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों के संशोधन के लिए आशयित फील्ड संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगी यदि मद 7 में विकल्प हां चुना है।



## प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-05

(देखिए नियम 9(4))

संदर्भ संख्या :

सेवा में

आवेदक का नाम :

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)

## रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृती का आदेश

यह आपके एआरएन तिथि द्वारा फाइल किए गए जबाव के निदेश अनुसार है। विभाग ने आपके जबाव की जांच की है और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं पाया गया है :

- 1.
- 2.
- 3.

इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

या

आपने संदर्भ संख्या तिथि द्वारा जारी नोटिस का जबाव उस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया है। इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

अधिकारिता

**प्ररूप जीएसटी आरईजी -06**

(देखिए नियम 10(1))

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रीकरण संख्या जीएसटीआईएन/यूनिक नंबर (यूआई एन)

1. विधिक नाम
2. व्यापार नाम, यदि कोई हो
3. कारबार का गठन
4. कारबार के मूल स्थान का पता
5. दायित्व की तिथि दिन/माह/वर्ष
6. विधिमान्यता की अवधि दिन/माह/वर्ष से दिन/माह/वर्ष तक  
(कारधेय व्यक्ति या  
केवल अनिवासी कराधेय व्यक्ति या  
आकस्मिक कराधेय व्यक्ति के मामले में लागू)
7. रजिस्ट्रीकरण का प्रकार
8. अनुमोदन प्राधिकारी के ब्यौरे
  - i. केन्द्र राज्य

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय

9. प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि

**टिप्पण** – रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र राज्य में कारबार के सभी स्थानों में मुख्य रूप से दर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित है।

उपबंध – क

## कारबार के अतिरिक्त स्थानों के ब्यौरे

माल और सेवा कर पहचान संख्यां

विधिक नाम

व्यापार नाम, व्यापार का नाम यदि कोई हो

राज्य में कारबार के अतिरिक्त स्थानों की कुल संख्या

क्रम संख्या पता

1

2

3

माल और सेवा कर पहचान संख्यां

विधिक नाम

व्यापार का नाम, व्यापार का नाम, यदि कोई हो

स्वत्वधारी/भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक प्रबंध समिति व्यक्ति संगमों के सदस्य/ न्यासियों का बोर्ड आदि के ब्यौरे

1.	फोटो	नाम	पदनाम/ हैसियत राज्य का निवासी
2.	फोटो	नाम	पदनाम/ हैसियत राज्य का निवासी
3.	फोटो	नाम	पदनाम/ हैसियत राज्य का निवासी
4.	फोटो	नाम	पदनाम/ हैसियत राज्य का निवासी
5.	फोटो	नाम	पदनाम / हैसियत राज्य का निवासी
6.	फोटो	नाम	पदनाम/ हैसियत राज्य का निवासी
7.	फोटो	नाम	पदनाम / हैसियत राज्य का निवासी
8.	फोटो	नाम	पदनाम / हैसियत राज्य का निवासी
9.	फोटो	नाम	पदनाम / हैसियत राज्य का निवासी
10.	फोटो	नाम	पदनाम / हैसियत राज्य का निवासी

## प्ररूप जीएसटी आरईजी-07

(देखिए नियम 12 (1))

धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर कलक्टर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

## भाग क

- (i) कर कटौतीकर्ता या कर कलक्टर का विधिक नाम (स्थायी लेखा संख्या /कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या में उल्लेखानुसार)
- (ii) स्थायी लेखा संख्या  
कारबार के स्थायी लेखा संख्या भरे संबद्ध स्वत्वधारिता के मामले में वैयक्तिक स्थायी लेखा संख्या
- (iii) कर कटौती संग्रहण लेखा संख्या  
(कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या, यदि स्थायी लेखा संख्या उपलब्ध नहीं है।
- (iv) ई-मेल पता
- (v) मोबाइल नम्बर

टिप्पण.— भाग ख भरे जाने के लिए पूर्व कार्रवाई के आन लाइन सत्यापन के अधीन उपर्युक्त सूचना प्रस्तुत किया जाना है।

## भाग ख

1. व्यापार का नाम, यदि कोई हो
2. कारबार का गठन (समुचित चयन करें)
  - (i) स्वत्वधारी
  - (ii) भागीदारी
  - (iii) हिन्दु अविभक्त कुटुंब
  - (iv) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
  - (v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी।
  - (vi) सोसाइटी/ क्लब /न्यास/व्यक्तियों का संगम।
  - (vii) सरकारी विभाग।
  - (viii) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ।
  - (ix) असीमित कंपनी।
  - (x) सीमित दायित्व भागीदारी।
  - (xi) स्थानीय प्राधिकारी।
  - (xii) कानूनी निकाय।
  - (xiii) विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी ।
  - (xiv) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत में)।
  - (xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)।

3. राज्य का नाम

जिला

4. अधिकारिता

राज्य

केन्द्र

## सेक्टर/सर्किल /वार्ड /प्रभार/यूनिट

		इत्यादि	
5	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	कर कटौतीकर्ता	<input type="radio"/> कर कलक्टर <input type="radio"/>
6.	सरकार (केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	केन्द्र	<input type="radio"/> राज्य/संघ राज्यक्षेत्र <input type="radio"/>

7.	कर की कटौती करने/संग्रहीत करने के दायित्व की तिथि	तिथि/मास/वर्ष
8.	(क) कारबार के मूल स्थान का पता	
	भवन संख्या/फ्लैट संख्या	तल संख्या
	परिसर/भवन का नाम	सड़क/गली
	शहर/नगर/परिक्षेत्र/गांव	जिला
	ब्लॉक/ताल्लुका	
	अक्षांश	देशान्तर
	राज्य	पिन कोड
	(ख) संपर्क सूचना	
	कार्यालय ई-मेल पता	कार्यालय टेलीफोन नं.
	मोबाइल नं.	कार्यालय फैक्स नं.
(ग)	परिसरों के कब्जे की प्रकृति	
	स्वामित्व	पट्टे पर दिया गया
		किराये पर दिया गया
		सहमति
		साझा की हुई
		अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
9.	क्या आपने उसी राज्य में माल और सेवा कर के अधीन कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए हैं?	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
10	यदि हां, माल और सेवा कर पहचान संख्या का उल्लेख करें	
11	आईसी (आयातकर्ता निर्यातकर्ता कोड), यदि लागू हों	
12	कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी डीडीओ (आहरण और संवितरण अधिकारी)/व्यक्ति के ब्यौरे	

ब्यौरे			
नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
पिता का नाम			
फोटो			
जन्म की तिथि	तिथि/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, स्त्री, अन्य>
मोबाइल नं.		ई-मेल पता	
टेलीफोन सं. एसटीडी सहित			
पदनाम/हैसियत		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी लेखा संख्याक		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट नं. (विदेशी व्यक्तियों के मामले में)	
निवास पता			
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		परिक्षेत्र/गांव	
राज्य		पिन कोड	
13. प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौरे			
प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए चेक बॉक्स <input type="checkbox"/>			
हस्ताक्षरी सं. 1 के ब्यौरे			
ब्यौरे	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तिथि	तिथि/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, स्त्री, अन्य>
मोबाइल नं.		ई-मेल पता	

टेलिफोन नं. एसटीडी सहित			
पदनाम/हैसियत		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट सं. (विदेशी व्यक्तियों के मामले में)	

निवास पता (भारत के भीतर)			
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
शहर/नगर/परिक्षेत्र/गांव		जिला	
राज्य		पिन कोड	
ब्लॉक/ताल्लुका			

टिप्पण- अतिरिक्त लिखें....

14.	<p>सहमति</p> <p>मैं आधार सं &lt;प्ररूप में दी गई आधार सं. के आधार पर पहले भरा गया&gt; के धारक की ओर से अधिप्रमाण के प्रयोजन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अपने ब्यौरे प्राप्त करने के लिए "माल और सेवा कर नेटवर्क" के लिए सहमति देता हूं। "माल और सेवा कर नेटवर्क" ने मुझे सूचित किया है कि पहचान सूचना केवल आधार धारक की पहचान को विधिमान्य करने के लिए प्रयोग की जाएगी और इसे अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान आंकड़ा, संग्रह के साथ सांझा किया जाएगा।</p>
15.	<p style="text-align: center;"><b>सत्यापन</b></p> <p>मैं सत्य निष्ठा से यह प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।</p> <p style="text-align: right;">(हस्ताक्षर)</p> <p>स्थान: कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी/व्यक्ति/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम</p> <p>तिथि (पदनाम)</p>

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों या स्थापना या स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय अभिकरणों को लागू न होना):-

<p>कारबार के मूल स्थान का सबूत:</p> <p>(क) स्वयं के परिसरों के लिए –</p> <p>परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे कि नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति।</p>
---



(ख)	किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए— जैसे कि नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमाम्य किराया/पट्टा करार की प्रति।
(ग)	उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए— जैसे कि नगरपालिका खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।
(घ)	किराए पर दिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए जहां किराया/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है वहां परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज जैसे बिजली के बिल की प्रति के साथ इस आशय का शपथपत्र।
(ङ)	यदि कारबार का मूल स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज या प्रमाणपत्र अपलोड किए जाने अपेक्षित हैं।

कर कटौतीकर्ता/कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।

1. कारबार कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या/स्थायी लेखा संख्या पर यथा अभिलिखित कर कटौतीकर्ता तथा कर संग्रहकर्ता का नाम प्रविष्ट करे। कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या/स्थायी लेखा संख्या आय-कर विभाग डाटाबेस के साथ सत्यापित किए जाएंगे।
2. सत्यापन और भावी संसूचना के लिए कर की कटौती करने/कर संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार डीडीओ (आहरण और संवितरण अधिकारी/व्यक्ति की ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराए जिससे आवेदन भरने से पहले पृथकतः भेजे जाने वाले वनटाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
3. ऐसा व्यक्ति जो डीडीओ/कर की कटौती करने वाले/कर संग्रह करने वाले व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहा है, आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकता है।
4. अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

क्रम संख्या	आवेदक के प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अपरिसीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी समिति दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के ई-हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो विनिर्दिष्ट हो या जो अधिसूचित किया जाए

5. स्थायी लेखा संख्या, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा आन लाइन विधिमाम्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद संख्या सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमाम्यकरण के पश्चात् तैयार की जाएगी।
6. ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की स्थिति को सामान्य पोर्टल पर देखा जा सकता है।
7. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई फीस भुगतान योग्य नहीं है।
8. प्राधिकृत व्यक्ति अवयस्क नहीं होगा।

## प्ररूप जीएसटी आरईजी-08

[देखिए नियम 12(3)]

संदर्भ सं.

तिथि:

सेवा में

नाम:

पता:

आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन) (उत्तर)

तिथि:

स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर कलक्टर के रूप में आरईजी के रद्दकरण का आदेश

यह अधिनियम के अधीन आरईजी के रद्दकरण के लिए संदर्भ संख्या..... तिथि..... द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में है।

- चूंकि कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर फाइल नहीं किया गया है
- चूंकि सुनवाई के लिए नियत तिथि को आप हाजिर नहीं हुए
- चूंकि कारण बताओ सूचना के प्रति आपका उत्तर और सुनवाई के समय किए गए निवेदनों की जांच की गई है। अधोहस्ताक्षरी की यह राय है कि आपका आरईजी निम्नलिखित कारण (कारणों) के लिए रद्द किया जा सकता है।

1.

2.

आरईजी के रद्दकरण की प्रभावी तिथि &lt;&lt;तिथि/मास/वर्ष &gt;&gt;.

आपको..... (तिथि) को या इससे पहले अधोलिखित राशि का भुगतान करने के लिए निदेश दिया जाता है जिसके असफल पर राशि अधिनियम और तद्वीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूल की जाएगी।

(यह आदेश आपके डेश बोर्ड पर भी उपलब्ध है)

शीर्ष	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
कुल					

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

## प्ररूप जीएसटी आरईजी-09

[देखिए नियम 13(1)]

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

भाग-क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -

जिला -

(i)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का लेखा संख्या, अनिवासी कराधेय व्यक्ति का लेखा संख्या यदि कोई हो	
(iii)	पासपोर्ट संख्या, पासपोर्ट संख्या यदि स्थायी लेखा संख्या उपलब्ध नहीं है	
(iv)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (स्थायी लेखा संख्या के अनुसार)	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का स्थायी लेखा संख्या	
(vii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई-मेल पता	
(viii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का मोबाइल नं. (+91)	

टिप्पण - जहां व्यवहार्य हो, भाग - ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्यक्षीन है।

भाग-ख

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौरे (भारत का निवासी होना चाहिए)		
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
	फोटो		
	लिंग	पुरुष/स्त्री/अन्य	
	पदनाम		
	जन्म की तिथि	तिथि/मास/वर्ष	
	पिता का नाम		
	राष्ट्रीयता		
	आधार		
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता	पता पंक्ति 1	
		पता पंक्ति 2	
		पता पंक्ति 3	
2.	वह अवधि, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है	से	तक
		तिथि/मास/वर्ष	तिथि/मास/वर्ष

3	आवर्त के ब्यौरे		अनुमानित आवर्त (रुपये)		अनुमानित कर दायित्व (शुद्ध) (रुपये)			
	राज्य के भीतर	अन्तर्राज्यीय	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	
4	उदभव के देश में अनिवासी कराधेय व्यक्ति का पता							
	(कारबार अस्तित्व के मामले में - कार्यालय का पता)							
	पता पक्ति 1							
	पता पक्ति 2							
	पता पक्ति 3							
	देश (ड्रॉप डाउन)							
	जिप कोड							
	ई-मेल पता							
टेलिफोन नं.								
5	भारत में कारबार के मूल स्थान का पता							
	भवन संख्या /फ्लैट संख्या				तल संख्या			
	परिसर/भवन का नाम				सड़क/गली			
	शहर/नगर/ग्राम/परिक्षेत्र				जिला			
	ब्लॉक/ताल्लुका							
	अक्षांश				देशांतर			
	राज्य				पिन कोड			
	मोबाइल नम्बर				टेलीफोन नम्बर			
	ई-मेल पता				फैक्स नम्बर एसटीडी सहित			
6	भारत में बैंक खाते के ब्यौरे							
	लेखा संख्या		लेखा का प्रकार					
	बैंक का नाम		शाखा का पता			आईएफएससी		
7	अपलोड किए गए दस्तावेज							
	प्ररूप में क्षेत्रीय महत्व के अनुसार अपलोड किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों (अनुदेश देखें) की अनुकूल सूची							
8	घोषणा							
	मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।							
स्थान:				हस्ताक्षर				
तिथि:				प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम				
				पदनाम:				

**टिप्पण:** अनिवासी कराधेय व्यक्ति से पासपोर्ट और फोटो की स्कैन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाती है।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

1.	<p><b>मूल कारबार के स्थान का सबूत:</b></p> <p>(क) स्वयं के परिसरों के लिए – परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति</p> <p>(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए– नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमाम्य किराया/पट्टा करार की प्रति जैसे कि।</p> <p>(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए – सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति जैसे कि नगरपालिक खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।</p>
2.	<p><b>अनिवासी कराधेय व्यक्ति के सबूत:</b></p> <p>बीजा के ब्यौरे सहित अनिवासी कराधेय व्यक्ति के पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति। भारत से बाहर निगमित या स्थापित कारबार अस्तित्व के मामले में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसकी कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर उस देश की सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है या उसका स्थायी लेखा संख्या, यदि उपलब्ध हों, के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।</p>
3	<p><b>बैंक खाता सम्बद्ध सबूत:</b></p> <p>बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पेज की स्कैन की गई प्रति या स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर, आईएफएससी और कोड सहित शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाला रद्द चेक की स्कैन की गई प्रति।</p>
4	<p><b>प्राधिकार प्ररूप:-</b></p> <p>आवेदन प्ररूप में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए, निम्नलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबन्ध समिति या निदेशक बोर्ड का प्राधिकार या उसके संकल्प के प्रति: प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरी के लिए अलग से) स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड आदि के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्य) मैं/हम.....(नाम) जो .....(रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) के (भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड आदि के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्य हैं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करते हैं कि &lt;&lt;प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (प्रास्थिति/पदाभिधान)&gt;&gt; कारबार&lt;&lt;माल और सेवा कर पहचान संख्या – कारबार का नाम &gt;&gt; जिसके लिए अधिनियम के अधीन आवेदन आरईजी के लिए फाइल किया गया है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए संकल्प संख्या..... तिथि.....(इसके साथ प्रस्तुत प्रति) द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। इस कारबार के सम्बन्ध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्ध कर होंगे</p> <p style="text-align: right;">हस्ताक्षर</p> <p>नाम:</p> <p>पदनाम/प्रास्थिति:</p> <p>(स्वत्वधारी/कारबार अस्तित्व का नाम)</p> <p>प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति</p>

	<p>मैं &lt;&lt;(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम)&gt;&gt; सत्य निष्ठा से ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर</p> <p>पता:</p> <p>तिथि:</p> <p style="text-align: right;">पदनाम/प्रास्थिति:</p>
--	--

**अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए निदेश-**

1. पासपोर्ट में यथा अभिलिखित आवेदक अनिवासी कराधेय व्यक्ति का नाम प्रविष्ट करें।
2. सामान्य पोर्टल पर कारबार के प्रारम्भ से कम से कम पांच दिन पहले आवेदन करें।
3. आवेदक को सत्यापन तथा भावी संसूचना के लिए ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराना आवश्यक है जो आवेदन के भाग - ख को भरने से पूर्व, पृथक रूप से भेजने वाले वन टाईम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
4. आवेदक को स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/प्रबन्ध निदेशकों और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड के पूर्णकालिकनिदेशक/सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करना आवश्यक है, यदि कारबार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में घोषित करता है।
5. अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा।

क्र. सं.	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अपरिसीमित अनलिमिटेड कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के, ई-हस्ताक्षर या जो अधिसूचित किया जाए

6. स्थायी लेखा संख्या, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा आने लाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात् तैयार की जाएगी।
7. ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की प्रास्थिति को सामान्य पोर्टल पर देखा जा सकता है।
8. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई रसीद संदेय नहीं है।
9. प्राधिकृत हस्ताक्षरी भारतीय नागरिक होगा और वह अवयस्क नहीं होगा।

## प्ररूप जीएसटी आरईजी-10

[नियम 14(1) देखें]

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

भाग-क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -

जिला -

(i)	व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	व्यक्ति का लेखा संख्या, यदि कोई हो	
(iii)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (स्थायी लेखा संख्या के अनुसार)	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का स्थायी लेखा संख्या	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई-मेल पता	
(vii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का मोबाइल नं. (+91)	

**टिप्पण.**— जहां व्यवहार्य हो, भाग - ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्वधीन है।

भाग-ख

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौर (भारत का निवासी होगा)		
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
	फोटो		
	लिंग	पुरुष/स्त्री/अन्य	
	पदनाम		
	जन्म की तिथि	तिथि/मास/वर्ष	
	पिता का नाम		
	राष्ट्रीयता		
	आधार, यदि कोई हो		

	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता		पता पंक्ति 1	
			पता पंक्ति 2	
			पता पंक्ति 3	
2.	भारत में ऑनलाइन सेवा के प्रारम्भ की तिथि		तिथि/मास/वर्ष	
3	वेबसाइट, जिसके माध्यम से कराधेय सेवा उपलब्ध कराई जाती हैं, के एक समान स्रोत अवस्थापक (यूआरएल(एस):			
	1.			
	2.			
	3...			
4	अधिकारिता	केन्द्र		
5	बैंक खाते के ब्यौरे			
	खाता सं.		खाता का प्रकार	
	बैंक का नाम	शाखा का पता	आइएफएससी	
6	अपलोड की गई दस्तावेज प्ररूप में क्षेत्रीय महत्व के अनुसार अपलोड किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों (अनुदेश देखें) की अनुकूल सूची			
7	<p>घोषणा</p> <p>मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।</p> <p>मैं.....यह घोषणा करता हूँ कि मैं रजिस्टरकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ। मैं कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित गैर-निर्धारित ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता से दायी कर प्रभारित करूंगा और संग्रहीत करूंगा और उसे भारत सरकार में जमा करूंगा।</p> <p>स्थान: हस्ताक्षर तिथि: प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम पदनाम :</p>			

**टिप्पण.**— आवेदक से पासपोर्ट और फोटो की स्कैन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाएगी।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है।



1.	<p>भारत में कारबार के स्थान का सबूत:</p> <p>(क) स्वयं के परिसरों के लिए – परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे कि नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति ।</p> <p>(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए– पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति जैसे कि नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति ।</p> <p>(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए – सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति जैसे कि नगरपालिक खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।</p>				
2.	<p>निम्नलिखित के सबूत :</p> <p>बीजा ब्यौरों के साथ अनिवासी कर दाता के पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति। कंपनी/सोसाइटी/एलएलपी/एफसीएनआर आदि के मामले में ऐसा व्यक्ति, जो प्राधिकार पत्र के साथ मुख्तारनामा धारण करता है।</p> <p>निगमन के प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति यदि कंपनी भारत से बाहर या भारत में रजिस्ट्रीकृत है।</p> <p>उदभव के देश द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की स्कैन की गई प्रति</p> <p>भारत सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।</p>				
3	<p>बैंक खाता सम्बद्ध सबूत:</p> <p>बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ/बैंक विवरण के एक पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति।</p> <p>स्वत्वधारी/कारबार समुत्थान के नाम में धारित बैंक पासबुक का आरंभिक पृष्ठ, जिसमें खाता धारक का खाता संख्या, नाम/एमआइसीआर और आइएफएससी तथा शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट हों।</p>				
4	<p>प्राधिकार प्ररूप:-</p> <p>प्राधिकार प्ररूप में उल्लिखित हस्ताक्षरी के लिए, निम्नलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के प्राधिकार या उसके संकल्प की प्रति:</p> <p>प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरी के लिए अलग से)</p> <p>मैं .....(प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्तारनामा धारक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि कारबार &lt;&lt;कारबार का नाम&gt;&gt; जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन फाइल किया जा रहा है/ रजिस्ट्रीकृत है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए &lt;&lt;प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम&gt;&gt; प्राधिकृत हूँ।</p> <p>इस कारबार के सम्बन्ध में उसकी सभी कार्रवाईयां मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगी।</p> <p>उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर, जो भारसाधक हैं।</p> <table border="0" data-bbox="295 1568 1244 1612"> <tr> <td>क्रम संख्या</td> <td>पूरा नाम</td> <td>पदनाम/हैसियत</td> <td>हस्ताक्षर</td> </tr> </table> <p>1.</p> <p>प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति</p> <p>मैं &lt;&lt;( प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम)&gt;&gt; ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने की अपनी स्वीकृति सत्यनिष्ठा से देता हूँ और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर</p> <p>स्थान : (नाम)</p> <p>तिथि : पदनाम/ हैसियत</p>	क्रम संख्या	पूरा नाम	पदनाम/हैसियत	हस्ताक्षर
क्रम संख्या	पूरा नाम	पदनाम/हैसियत	हस्ताक्षर		

## प्ररूप जीएसटी आरईजी-11

[ देखिए नियम 15(1) ]

आकस्मिक/अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण अवधि के विस्तार के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआइएन						
2.	नाम (विधिक)						
3.	व्यवसाय का नाम, यदि कोई हो						
4.	पता						
5.	विधिमान्यता की अवधि (मूल)		से		तक		
			दिन/मास/वर्ष		दिन/मास/वर्ष		
6.	अवधि जिसके लिए विस्तार का अनुरोध किया गया है		से		तक		
			दिन /मास/वर्ष		दिन /मास/वर्ष		
7.	विस्तारित अवधि के लिए आवर्त के ब्यौरे (रूपये)		विस्तारित अवधि के लिए (शुद्ध) प्राक्कलित कर दायित्व (रूपये)				
	अन्तर्राज्यीय	राज्य के भीतर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
8.	भुगतान के ब्यौरे						
	तिथि	सीआइएन	बीआरएन		राशि		
9.	घोषणा-		मैं इसके द्वारा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।				
स्थान:			हस्ताक्षर				
तिथि:			प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम:				
			पदनाम/हैसियत:				

## विधिमान्यता के विस्तार के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुदेश

1. आवेदन विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है।
2. आवेदन केवल तब फाइल किया जा सकता है जब अग्रिम भुगतान किया जाता है।
3. सफल फाइल करने के पश्चात्, आवेदन संदर्भ संख्या तैयार की जाएगी जिसे आवेदन की प्रास्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

## प्ररूप जीएसटी आरईजी- 12देखिए नियम 16(1)]

संदर्भ संख्या -

तिथि:

सेवा में,

(नाम):

(पता):

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण संख्या

## अस्थायी रजिस्ट्रीकरण/ स्वप्रेरणा से रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए आदेश

चूंकि अधोहस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के दायी हैं और इसलिए आपका अस्थायी आधार पर रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। कारबार परिसर से पता लगाई गई कारबार की विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

उस व्यक्ति के ब्यौरे, जिसे अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है		
1.	नाम और विधिक नाम, यदि लागू हो	
2.	लिंग	पुरुष/ महिला/ अन्य
3.	पिता का नाम	
4.	जन्म की तिथि	दिन/ मास/ वर्ष
5.	व्यक्ति का पता	भवन संख्या/फ्लैट संख्या
		मंजिल
		परिसर/भवन का नाम
		सड़क गली
		शहर/नगर/लोकलिटी/ग्राम
		ब्लॉक/तालुका
		जिला
		राज्य
	पिन कोड	
6.	व्यक्ति की स्थायी लेखा संख्या, यदि उपलब्ध हो	
7.	मोबाइल नंबर	
8.	ईमेल पता	
9.	अन्य पहचान, यदि कोई हो (मतदाता पहचान संख्या/पासपोर्ट संख्या/चालन अनुज्ञप्ति संख्या/आधार संख्या/अन्य)	
10.	अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के कारण	
11.	रजिस्ट्रीकरण/ अस्थायी पहचान की प्रभावी तिथि	
12.	रजिस्ट्रीकरण संख्या/अस्थायी पहचान	
(अभिग्रहण मेमो/निरुद्ध मेमो/कोई अन्य समर्थनकारी दस्तावेज का अपलोड किया जाना)		
<< आपको इस आदेश के जारी होने के तीस दिन के भीतर समुचित रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने का निदेश दिया जाता है >>		
स्थान		हस्ताक्षर
तिथि :		<< अधिकारी का नाम >> >>
टिप्पण :		पदनाम/अधिकारिता:
टिप्पण :आदेश की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले तत्स्थानी केंद्रीय/राज्य प्राधिकारी को भेजी जाएगी।		

## प्ररूप जीएसटी आरईजी- 13

[देखिए नियम 17 (1)]

संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/ अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या अनुदत्त करने के लिए आवेदन/प्ररूप

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -

जिला -

## भाग क

(i)	संख्या का नाम	
(ii)	संख्या की स्थायी लेखा संख्या, यदि कोई है (किसी अन्य अधिसूचित व्यक्ति की दशा में लागू)	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की स्थायी लेखा संख्या	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ईमेल पता	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर (+ 91)	

## भाग ख

1.	संख्या का किस्म) कोई एक चुनें)	संयुक्त राष्ट्र	दूतावास	अन्य व्यक्ति
2.	देश			
3.	अधिसूचना के ब्यौरे	अधिसूचना संख्या	तिथि	
4.	राज्य में संख्या का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर	मंजिल		
	परिसर/भवन का नाम	सड़क/ गली		
	शहर/कस्बा/गाँव	जिला		
	ब्लॉक/तालुका			
	अक्षांश	देशान्तर		
	राज्य	पिन कोड		
	संपर्क के लिए जानकारी			
	ईमेल पता	टेलीफोन नंबर		
	फैक्स नंबर	मोबाइल नंबर		
7.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे, यदि लागू हों			
	विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	नाम			
	फोटो			
	पिता का नाम			
	जन्म की तिथि	दिन/ मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, महिला, अन्य>
	मोबाइल नंबर		ईमेल पता	
	टेलीफोन नंबर			
	पदनाम/हैसियत		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	

	स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या	
	क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशियों के मामले में)	
	घर का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल	
	परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
	नगर/शहर/गांव		जिला	
	ब्लॉक/तालुका			
	राज्य		पिन कोड	
8.	बैंक खाता ब्यौरे )यदि आवश्यक हो तो और जोड़ें)			
	खाता संख्या		खाते का प्रकार	
	आईएफएससी		बैंक का नाम	
	शाखा का पता			
9.	<p>अपलोड किए गए दस्तावेज</p> <p>प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि से भिन्न) ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सम्मिलित हैं, को अपलोड किया जाएगा।</p> <p>या</p> <p>समुचित अधिकारी, जिसने आवेदक (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि) से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि का भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सम्मिलित हैं, के साथ सृजित और संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि को आर्बाटित विशिष्ट पहचान संख्या को अपलोड किया जाएगा।</p>			
11.	<p>सत्यापन</p> <p>मैं सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञा करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।</p>			

स्थान:

(हस्ताक्षर)

तिथि:

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम:

या

(हस्ताक्षर)

स्थान

समुचित अधिकारी का नाम:

तिथि:

पदनाम:

अधिकारिता:

सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।

- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा या समुचित अधिकारी द्वारा स्व:प्रेरणा से रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया जा सकता है
- सामान्य पोर्टल पर फाइल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिकी रूप से या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से हस्ताक्षर करना अपेक्षित है
- संबंधित संख्या द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के ब्यौरे को आवेदन में "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे"के सामने भरा जाना चाहिए।

## प्ररूप जीएसटी आरईजी - 14

[देखिए नियम 19(1)]

रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन  
(सभी प्रकार के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन/यूआईएन			
2. कारबार का नाम			
3. रजिस्ट्रीकरण का प्रकार			
4. संशोधन सारांश			
क्रम संख्या	फील्ड नाम	प्रभावी तिथि (दिन / मास / वर्ष)	कारण
5. अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची			
(क)			
(ख)			
(ग)			
...			
6. घोषणा			
मैं सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।			
स्थान:		हस्ताक्षर	
तिथि :		प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:	
		पदनाम/हैसियत:	

**संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश**

1. संशोधन के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।
2. कारबार के नाम, कारबार का प्रधान स्थान, कारबार के अतिरिक्त स्थान और भागीदारों या निदेशकों के ब्यौरे, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य, जो कारबार के दिन प्रतिदिन के मामलों के लिए उत्तरदायी है – से संबंधित परिवर्तन, जो **रजिस्ट्रीकरण** को रद्द करने के लिए अधिदेश नहीं करते हैं, कोर फील्ड हैं, जिनका सम्यक् सत्यापन के पश्चात् समुचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।
3. गैर-कोर फील्ड में संशोधन के लिए समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।
4. जहां किसी कारबार के गठन में किसी परिवर्तन का परिणाम रजिस्ट्रीकृत की स्थायी लेखा संख्या में परिवर्तन के रूप में होता है तो उक्त व्यक्ति से नए **रजिस्ट्रीकरण** के लिए आवेदन करना अपेक्षित है।
5. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के समय-समय पर संशोधित मोबाइल नंबर या ई-मेल पते में परिवर्तन को सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के पश्चात् ही किया जाएगा।
6. स्थायी लेखा संख्या, आधार, निदेशक पहचान संख्या, चालान पहचान संख्या से संबंधित सभी सूचना का आनलाइन विधिमान्यकरण प्रणाली द्वारा किया जाएगा तथा आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) आवश्यक फील्ड के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के पश्चात् सृजित की जाएगी।
7. आवेदन की प्रास्थिति का सामान्य पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है।
8. संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई फीस भुगतानयोग्य नहीं है।
9. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्यक नहीं होगा।

**प्ररूप जीएसटी आरईजी- 15**

[देखिए नियम 19 (1)]

संदर्भ संख्या - &lt;&lt; &gt;&gt;

तिथि - दिन/ मास/वर्ष

सेवा में

(नाम)

(पता)

रजिस्ट्रीकरण संख्या (माल और सेवा कर पहचान संख्या/विशिष्ट पहचान संख्या )

आवेदन संदर्भ संख्या) एआरएन)

तिथि - दिन/ मास/वर्ष

**संशोधन के आदेश**

आपकी आवेदन संख्या ----- तिथि---- जो रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के संबंध में है, को निर्दिष्ट करें। आपके आवेदन की जांच की गई है और उसे सही पाया गया है। रजिस्ट्रीकरण का संशोधन प्रमाण पत्र डाउनलोड किए जाने के लिए आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है।

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता



## प्ररूप जीएसटी आरईजी- 16

[देखिए नियम 20]

## रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन

1	जीएसटीआईएन		
2	विधिक नाम		
3	व्यापार नाम, यदि कोई हो		
4	कारबार के प्रधान स्थान का पता		
5	भावी पत्राचार के लिए पता (ईमेल, मोबाइल टेलीफोन, फ़ैक्स सहित)	भवन संख्या/फ्लैट संख्या	मंजिल
		परिसर/भवन का नाम	सड़क/गली
		शहर/कस्बा/गाँव	जिला
		ब्लॉक/तालुका	
		अक्षांश	देशान्तर
		राज्य	पिन कोड
		मोबाइल (देश कोड के साथ)	टेलीफोन
		ईमेल	फ़ैक्स संख्या
6.	रद्द करने के कारण (एक चुने)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ कारबार को जारी न रखना/ समापन</li> <li>○ कर का भुगतान करने के लिए दायी होने का समाप्त होना</li> <li>○ समामेलन, विलयन/अविलयन, विक्रय, पट्टा या अन्यथा निपटान के कारण कारबार का अंतरण आदि।</li> <li>○ कारबार के गठन में परिवर्तन के कारण स्थायी लेखा संख्या में परिवर्तन</li> <li>○ एकल स्वतवधारी की मृत्यु</li> <li>○ अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</li> </ul>	
7.	कारबार के अंतरण, विलयन की दशा में उस संख्या के रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां, जिसमें विलयन, समामेलन, अंतरण आदि किया गया है		
(i)	माल और सेवा कर पहचान संख्या		
(ii)	(क) नाम (विधिक)		
	(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो		

(iii)	कारबार के प्रधान स्थान का पता	भवन संख्या/फ्लैट संख्या		मंजिल			
		परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली			
		शहर/कस्बा/गाँव		जिला			
		ब्लॉक/तालुका					
		अक्षांश		देशान्तर			
		राज्य		पिन कोड			
		मोबाइल (देश कोड के साथ)		टेलीफोन			
		ईमेल		फैक्स संख्या			
8.	तिथि जिससे <b>रजिस्ट्रीकरण</b> रद्द किया जाना है।			दिन/ मास/वर्ष			
9.	फाइल किए गए अंतिम रिटर्न की विशिष्टियां						
(i)	कर अवधि						
(ii)	आवेदन संदर्भ संख्या						
(iii)	तिथि						
10.	<b>रजिस्ट्रीकरण</b> के रद्द करने की प्रभावी तिथि को स्टॉक में धारित इनपुट/पूँजी मालों के संबंध में भुगतान योग्य कर की राशि						
	विवरण	स्टॉक का मूल्य (₹.)	भुगतान योग्य इनपुट कर /प्रत्यय कर (जो भी अधिक हो) (रुपए)				
			केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	इनपुट						
	अर्द्ध तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुट						
	तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुट						
	पूँजी माल/संयंत्र और मशीनरी						
	योग						
11.	भुगतान कर के ब्यौरे, यदि कोई हो						
	रोकड़ खाते से भुगतान						
	क्रम संख्या	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1.						
	2.						
		उप-योग					

आईटीसी खाते से भुगतान							
क्रम संख्या	नाम प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	
1.							
2.							
	उप-योग						
भुगतान कर की कुल राशि							
12 अपलोड किए गए दस्तावेज							
13 सत्यापन मैं/हम सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञा करता हूँ/करते हैं कि और यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।							
						प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर	
स्थान			प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम				
तिथि			पदनाम/हैसियत				

### रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुरोध

- अपने रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने का इच्छुक कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन, जिसमें अतिशेष स्टॉक और उस पर दायित्व के ब्यौरों के साथ सुसंगत दस्तावेज होंगे, आम पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा।
- निम्नलिखित व्यक्ति, जो लागू हो, रद्द करने के लिए आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करेंगे:

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है
स्वत्वधारिता	स्वत्वधारी
भागीदारी	प्रबंधक/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सोसाइटी/क्लब/न्यास/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	प्रभारी व्यक्ति
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
असीमित कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	पदामिहित भागीदार
स्थानीय प्राधिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	प्रभारी व्यक्ति

स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में आवेदन संबंधित कर प्राधिकारियों के समक्ष मैन्युअल रूप से उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तरवर्ती द्वारा किया जाएगा। नई संख्या, जिसमें आवेदक स्वयं का समामेलन करने का प्रस्ताव करता है, को कर प्राधिकारी के पास उसके रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। यह आवेदन केवल नई संख्या को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व उस कर अवधि के लिए कृपया अपनी सम्यक् कर विवरणी फाइल करें, जिसमें रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण करने की प्रभावी तिथि आती है।

- आवेदन की प्रास्थिति का सामान्य पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है।
- रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई फीस भुगतानयोग्य नहीं है।
- रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति भुगतान करेगा, यदि इस आवेदन को करने के समय नहीं किया गया है तो और अधिनियम में यथाउपबंधित अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने संपर्क के पते को अपडेट करेगा तथा मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को भी अपडेट करेगा।

## प्ररूप जीएसटी आरईजी - 17

[देखिए नियम 22(1)]

संदर्भ संख्या -

&lt;&lt; तिथि &gt;&gt;

सेवा में

रजिस्ट्रीकरण संख्या (जीएसटीआईएन/यूआईएन)

(नाम)

(पता)

## रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस

चूंकि मेरी सूचना में आई जानकारी के आधार पर यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित कारणों से आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का दायी है: -

1

2

3

...

 आपको इस सूचना का प्रत्युत्तर इस नोटिस की तामील की तिथि से सात कार्यदिवस के भीतर देने का निदेश दिया जाता है। आपको अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिन/ मास/वर्ष को घंटा/मिनट पर उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है।

यदि आप नियत तिथि के भीतर प्रत्युत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तिथि और समय पर वैयक्तिक सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेखों और गुणागुण के आधार पर एकतरफा विनिश्चय किया जाएगा।

हस्ताक्षर

&lt;अधिकारी का नाम&gt;

स्थान :

पदनाम

तिथि :

अधिकारिता

## प्ररूप जीएसटी आरईजी- 18

[देखिए नियम 22 (2)]

## रजिस्ट्रीकरण रह करने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर

1.	संदर्भ नोटिस की संख्या		जारी करने की तिथि	
2.	जीएसटीआईएन/यूआईएन			
3.	कारबार का नाम (विधिक)			
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो			
5.	नोटिस का प्रत्युत्तर			
6.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची			
7.	सत्यापन मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि यहां ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।  स्थान : तिथि :	<p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: right;">नाम</p> <p style="text-align: right;">पदनाम/हैसियत</p>		

## प्ररूप जीएसटी आरईजी- 19

[देखिए नियम 22 (3)]

संदर्भ संख्या -

तिथि

सेवा में

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या/विशिष्ट पहचान संख्या

आवेदन संदर्भ संख्या) (एआरएन)

तिथि

## रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आदेश

आपके तिथि ----- के प्रत्युत्तर के संदर्भ में तिथि ..... की कारण बताओं नोटिस के संदर्भ में

- चूंकि कारण बताओं नोटिस का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है ; या
- चूंकि सुनवाई के लिए नियत दिन को आप उपस्थित नहीं हुए थे ; या
- चूंकि अद्योहस्ताक्षरी ने सुनवाई के समय दिए गए आपके प्रत्युत्तर और दलीलों की जांच की है और उसका यह मत है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने का दायी है।

1.

2.

आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने की प्रभावी तिथि &lt;&lt; दिन/मास/वर्ष &gt;&gt; है।

## रद्दकरण के अनुसरण में भुगतानयोग्य राशि का अवधारणः

तदनुसार, आपके द्वारा भुगतानयोग्य राशि और उसकी संगणना तथा उसके आधार निम्नानुसार हैं:

पूर्वोक्त भुगतानयोग्य अवधारण की जाने वाली राशि किसी अन्य राशि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जो आपके द्वारा अंतिम विवरण प्रस्तुत किए जाने पर भुगतानयोग्य हो सकती है।

आपसे ..... (तिथि) को या उससे पूर्व निम्नलिखित राशियों का भुगतान करना अपेक्षित है, जिसके न हो सकने पर राशि अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूल की जाएगी।

शीर्ष	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
योग					

हस्ताक्षर

&lt;अधिकारी का नाम&gt;

पदनाम

अधिकारिता

स्थानः

तिथिः

## प्ररूप जीएसटी आरईजी- 20

[देखिए नियम 22 (4)]

संदर्भ संख्या -

तिथि

सेवा में

नाम

पता

जीएसटीआईएन/यूआईएन

कारण बताओं नोटिस संख्या

तिथि

## रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए आदेश

आपके तिथि ..... की कारण बताओं नोटिस दिन/ मास/वर्ष के प्रत्युत्तर के उत्तर को निर्दिष्ट करें। सुनवाई के दौरान दिए गए आपके उत्तर और/या दलीलों पर विचार करने पर रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से समाप्त की जाती हैं :

&lt;&lt; पाठ &gt;&gt;

हस्ताक्षर

&lt;अधिकारी का नाम&gt;

स्थान:

पदनाम

तिथि:

अधिकारिता



## प्ररूप जीएसटीआरईजी-21

/देखिए नियम 23(1)/

## रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के विखंडन के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन (रद्द)				
2.	विधिक नाम				
3.	व्यापारिक नाम, यदि कोई हों				
4.	पता (कारबार का मूल स्थान)				
5.	रद्दकरण आदेश संख्या		तिथि -		
6.	रद्दकरण के कारण				
7.	फाइल की गई अंतिम विवरणी का ब्यौरा				
	विवरणी की अवधि		आवेदन निदेश संख्यांक	फाइल करने की तिथि	दिन/ मास/वर्ष
8.	रद्दकरण के विखंडन का कारण	संक्षिप्त में कारण (विस्तृत कारण संलग्नक के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं)			
9.	अपलोड दस्तावेज				
10.	<p>सत्यापन</p> <p>मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं तथा उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पूरा नाम (प्रथम नाम, मध्य, उपनाम) पदनाम/हैसियत</p> <p>स्थान तिथि</p>				

## रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

- किसी व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण समुचित अधिकारी द्वारा अपने आप रद्द कर दिया गया है, समान पोर्टल संख्या आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख की तिथि से तीस दिन में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन कर सकेगा। यदि रजिस्ट्रीकरण विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण रद्द हुए हैं तो ऐसी विवरणी प्रस्तुत की जा सकेगी तथा ऐसी विवरणी में कर के रूप में देय कोई राशि ब्याज के लिए भुगतानयोग्य किसी राशि के साथ भुगतान की जाएगी।
- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में किसी परिवर्तन को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा और इनके आनलाईन सत्यापन के पश्चात् समान पोर्टल के माध्यम से विहित रीति में इनको संशोधित किया जाएगा।
- समान पोर्टल पर आवेदन की प्रास्थिति देखी जा सकेगी।
- रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई शुल्क भुगतानयोग्य नहीं होगा।

## प्ररूप जीएसटी आरईजी-22

[देखिए नियम 23(2)]

संदर्भ संख्या -

तिथि

सेवा में

जीएसटीआईएन / यूआईएन

(करदाता का नाम)

(पता)

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)

तिथि

## रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आदेश

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए अपने आवेदन तिथि दिन/ मास /वर्ष का संदर्भ लें। आपके आवेदन का परीक्षण किया जा चुका है और उसको सही पाया गया है, आपका रजिस्ट्रीकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है।

समुचित अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

(पदनाम)

अधिकारिता –

तिथि

स्थान

प्ररूप जीएसटी-23  
[देखिए नियम 23(3)]

संदर्भ संख्या :

तिथि

सेवा में,

आवेदक/ करदाता का नाम

आवेदक/ करदाता का पता

जीएसटीआईएन

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन):

तिथि

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के आवेदन को खारिज करने के लिए कारण बताओ नोटिस

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के बाबत अपने आवेदन तिथि दिन/मास/वर्ष का संदर्भ लें। आपके आवेदन का परीक्षण किया गया और उसके निम्नलिखित कारणों के कारण खारिज होने योग्य पाया गया :

1.

2.

3.

...

— आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप इस नोटिस के तामील की तिथि से सात कार्य दिवसों में इस नोटिस का उत्तर दें।

— आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप दिन/मास/वर्ष को समय घंटा/मिनट पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों।

यदि आप निर्धारित समय में अपना उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तिथि और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो मामला उपलब्ध अभिलेखों और गुणदोषों के आधार पर एकपक्षीय विनिश्चित कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

समुचित अधिकारी का नाम

(पदनाम)

अधिकारिता

## प्ररूप जीएसटीआरईजी-24

[देखिए नियम 23(3)]

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन को खारिज करने के नोटिस का उत्तर

1.	नोटिस की संदर्भ संख्या		तिथि	
2.	आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)		तिथि	
3.	जीएसटीआरईएन, यदि लागू हों			
4.	सूचना/कारण			
5.	फाइल दस्तावेजों की सूची			
6.	<p>सत्यापन मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है तथा उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पूरा नाम पदनाम/हैसियत</p> <p>स्थान :</p> <p>तिथि :</p>			

## प्ररूप जीएसटी आरईजी-25

[देखिए नियम 24(1)]

## अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

1.	अनंतिम पहचान		
2.	स्थायी खाता संख्यांक		
3.	विधिक नाम		
4.	व्यापारिक नाम		
5.	विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे		
	अधिनियम	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
(क)			
(ख)			
(ग)			
तिथि	<प्रमाणपत्र के सृजन की तिथि>	स्थान	<राज्य>

अनंतिम रजिस्ट्रेशन का यह प्रमाणपत्र अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है।

## प्ररूप जीएसटी आरईजी -26

[देखिए नियम 24(2)]

विद्यमान करदाता के नामांकन के लिए आवेदन			
करदाता का ब्यौरा			
1.	अनंतिम पहचान		
2.	विधिक नाम (स्थायी खाता संख्या के अनुसार)		
3.	विधिक नाम (राज्य/केन्द्र के अनुसार)		
4.	व्यापारिक नाम, यदि कोई है		
5.	कारबार का स्थायी खाता संख्या		
6.	गठन		
7.	राज्य		
7अ.	सेक्टर, सर्किल, वार्ड इत्यादि, जो लागू हों		
7आ.	अधिकारिता केन्द्र		
8.	रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए दायित्व का कारण	पूर्ववर्ती विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण	
9.	विद्यमान रजिस्ट्रीकरण		
क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण की तिथि
1	मूल्य वर्धित कर के अधीन टिन		
2	केन्द्रीय विक्रयकर रजिस्ट्रीकरण संख्या		
3	प्रविष्टि कर रजिस्ट्रीकरण संख्या		
4	मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण संख्या		
5	होटल और लम्जरी कर रजिस्ट्रीकरण संख्या		
6	केन्द्रीय उत्पाद रजिस्ट्रीकरण संख्या		
7	सेवा कर रजिस्ट्रीकरण संख्या		
8	कारपोरेट पहचान संख्या / विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण		
9	सीमित दायित्व साझेदारी पहचान संख्या / विदेशी सीमित दायित्व साझेदारी पहचान संख्या		
10	आयात/निर्यातक कोड संख्या		
11	ओषधिय और प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण		
12	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

10. कारबार के मूल स्थान का ब्यौरा			
भवन संख्या /फ्लैट संख्या		मजिल संख्या	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
स्थान/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
अक्षांश		देशान्तर	
संपर्क सूचना			
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष संख्या	
मोबाइल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या	
10अ. परिसर के कब्जे की प्रकृति		(स्वामित्व, पट्टे पर, किराए पर, सहमति से, साझेदारी)	
10आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाकलापों की प्रकृति			
फैक्ट्री/निर्माण	<input type="radio"/>	थोक कारबार	<input type="radio"/>
खुदरा कारबार	<input type="radio"/>	भंडागार/डिपो	<input type="radio"/>
बांडेड भंडागार	<input type="radio"/>	सेवा उपबंध	<input type="radio"/>
कार्यालय/विक्रय कार्यालय	<input type="radio"/>	पट्टा कारबार	<input type="radio"/>
सेवा प्राप्तकर्ता	<input type="radio"/>	ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	<input type="radio"/>
एस ई जेड	<input type="radio"/>	निवेश सेवा वितरक	<input type="radio"/>
संकर्म संविदा	<input type="radio"/>	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	<input type="radio"/>
11. कारबार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा			
भवन संख्या /फ्लैट संख्या		मजिल संख्या	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
स्थान/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
अक्षांश		देशान्तर	
संपर्क सूचना			
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष संख्या	
मोबाइल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या	
11अ. परिसर के कब्जे की प्रकृति		(स्वामित्व, पट्टे पर, किराए पर, सहमति से, साझेदारी)	
11आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाकलापों की प्रकृति			
फैक्ट्री/निर्माण	<input type="radio"/>	थोक कारबार	<input type="radio"/>
फैक्ट्री/निर्माण	<input type="radio"/>	थोक कारबार	<input type="radio"/>
बांडेड भंडागार	<input type="radio"/>	सेवा उपबंध	<input type="radio"/>
बांडेड भंडागार	<input type="radio"/>	सेवा उपवन	<input type="radio"/>
सेवा प्राप्तकर्ता	<input type="radio"/>	ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	<input type="radio"/>
सेवा प्राप्तकर्ता	<input type="radio"/>	ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	<input type="radio"/>
संकर्म संविदा	<input type="radio"/>	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	<input type="radio"/>
कार्य संविदा	<input type="radio"/>	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	<input type="radio"/>
और जोड़ें			

कारबार द्वारा भुगतान किए जाने वाला माल/सेवा का ब्यौरा					
क्रम संख्या	माल का ब्यौरा				एचएसएन कोड
क्रम संख्या	सेवा का ब्यौरा				एचएसएन कोड
13. कारबार चलाने के लिए आपके द्वारा रखे गए कुल बैंक खाते					
क्रम संख्या	खाता संख्या	खाता का प्रकार	आईएफएससी	बैंक का नाम	शाखा का खाता
14. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे					
नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम		अंतिम नाम	फोटो
पिता/पति का नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम		अंतिम नाम	
जन्म तिथि	दिन/मास/वर्ष	लिंग	पुरुष, स्त्री, अन्य		
मोबाईल संख्या		ई-मेल पता			
टेलीफोन संख्या					
पहचान सूचना					
पदनाम		निदेशक पहचान संख्या			
स्थायी खाता संख्या		आधार संख्या			
क्या आप भारत के नागरिक हैं	हां या नहीं	पासपोर्ट संख्या			
निवास का पता					
भवन/फ्लैट संख्या		मंजिल संख्या			
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली			
स्थान/ग्राम		जिला			
राज्य		पिन कोड			
15. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे					
नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम		अंतिम नाम	फोटो
पिता/पति का नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम		अंतिम नाम	
जन्म तिथि	दिन/मास/वर्ष	लिंग	पुरुष, स्त्री, अन्य		
मोबाईल संख्या		ई-मेल पता			
टेलीफोन संख्या					
पहचान सूचना					



पदनाम		निदेशक पहचान संख्या	
स्थायी खाता संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं	हां या नहीं	पासपोर्ट संख्या	
निवास का पता			
भवन/फ्लैट संख्या		मंजिल संख्या	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
स्थान/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
और जोड़ें			
अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची			
<p><b>14.</b> दस्तावेजों की पारंपरिक सूची जिनका प्ररूप में क्षेत्रमूल्य के अनुसार अपलोड किया जाना अपेक्षित है, सूची में (अनुदेश देखें) में प्रत्येक प्रविष्टि के सामने अपलोड सुसंगत दस्तावेज के लिए उपबंध के साथ स्वतः आ जाने चाहिए। 16. मैं, प्ररूप में प्रदत्त आधार संख्याओं के धारकों के निमित्त माल और सेवा कर नैटवर्क को अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए यूआईडीएआई से ब्यौरे प्राप्त करने की सहमति देता हूँ। माल और सेवा कर नैटवर्क ने मुझे सूचित कर दिया है कि पहचान सूचना आधार धारक की पहचान को वैधता के लिए प्रयोग किया जाएगा तथा अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान डाटा रक्षण के साथ साझा की जाएगी।</p>			
<p>17. मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान तथा घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है तथा इसमें कुछ नहीं छिपाया गया है।</p>			
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम		स्थान	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम		तिथि	

#### नामांकन के लिए आवेदन को फाइल करने के लिए अनुदेश

1. प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर कटौती करने वाले से भिन्न या निवेश सेवा वितरक जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी लेखा संख्या रखता है, उसके ई-मेल और मोबाइल संख्या वैधता द्वारा समान पोर्टल पर नामांकित किया जाएगा।
2. खंड (क) के अधीन नामांकन पर उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त किया जाएगा और प्ररूप जी. एस. टी. आर. ई. जी. 25 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जिसमें माल और सेवाकर पहचान संख्या होगी को समान पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
3. अधिप्रमाणन प्ररूप –

आवेदन प्ररूप में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए अधिप्रमाणन या प्रबंध समिति या बोर्ड निदेशकों के संकल्प प्रति निम्नलिखित फोरमेट में फाइल की जाएगी।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक)

1.

(मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे)

1. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे

2.

3.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, मैं सत्यानिष्ठा से यह प्रतिज्ञान तथा घोषणा करता हूँ कि माल और सेवा पहचान संख्या – कारबार का नाम, कारबार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ जिसके लिए माल और सेवा कर अधिनियम, 20 – के अधीन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन फाइल किया जाना है /रजिस्ट्रीकृत है।

इस कारोबार के संबंध में उसके सभी कृत्य मुझ /हम पर बाध्यकारी हैं।

व्यक्तियों के हस्ताक्षर जो मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि हैं।

क्रम संख्या	पूरा नाम	पदनाम / हैसियत हस्ताक्षर
-------------	----------	--------------------------

1.

2.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति

मैं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम शपथपूर्वक ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ और मेरे सभी कार्य कारबार पर बाध्यकारी होंगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम/हैसियत

तिथि :

स्थान :

### आनलाईन प्ररूप भरने के लिए अनुदेश

- जीएसटी पोर्टल पर लाग इन के लिए राज्य/वाणिज्यकर /केन्द्रीय उत्पाद/सेवाकर विभाग द्वारा यथा प्रदत्त अपनी अनंतिम पहचान और पासवर्ड प्रविष्ट करें।
- प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सही ई-मेल, पता और मोबाइल संख्या दिए जाएं। ई-मेल पता और मोबाइल पते प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सम्पर्क सूचना के रूप में भरे जाएं।
- पृथक वन टाइम पासवर्ड द्वारा सत्यापित किए जाएं। करदाता प्रथम लाग इन के पश्चात् अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बदल लेगा।
- करदाता को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड कारबार का मूल स्थान और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के ब्यौरों के संबंध में आवेदन प्ररूप में अपेक्षित सूचनाएं भरना अपेक्षित होगा।
- माल और सेवाओं (ऊपर की पांच) के संबंध में सेवाओं के लिए कारबार के अतिरिक्त, बैंक खाता वस्तुओं से संबंधित सूचना भरी जाना भी अपेक्षित है।
- आवेदक को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई कापी अपलोड करना आवश्यक है।
- विनिर्दिष्ट संलग्नक के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में घोषित करने की दशा में आवेदक को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई कापी अपलोड करना आवश्यक है।
- साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे –

1.	<p>आवेदन प्ररूप में जहां फोटोग्राफ विनिर्दिष्ट हों (अधिकतम दस)</p> <p>मालिकाना संबंध- मालिक</p> <p>साझेदारी फर्म /सीमित दायित्व साझेदारी - प्रबंध /प्राधिकृत साझेदार (सभी साझेदारों के वैयक्तिक ब्यौरे दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें प्रबंध साझेदार को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं।</p> <p>हिन्दू अविभक्त कुटुंब - कर्ता</p> <p>कंपनी – प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति</p> <p>न्यास –प्रबंध न्यासी</p> <p>व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय – प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के वैयक्तिक ब्यौरे दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें अध्यक्ष को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं।)</p> <p>स्थानीय निकाय – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य</p> <p>कानूनी निकाय</p> <p>मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य</p> <p>अन्य – कार्यसाधक व्यक्ति</p>
2.	<p>कारबार का गठन – साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी विलेख, समिति, न्यास, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य इत्यादि में गठन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र /सबूत।</p>
3.	<p>कारबार के मूल /अतिरिक्त स्थान का सबूत</p> <p>(क) अपने परिसर के लिए –</p> <p>परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या म्युनिसिपल खाता प्रति या विद्युत बिल की प्रति</p> <p>(ख) किराए या पट्टे के परिसर के लिए –</p> <p>पट्टे के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित वैध किराए /पट्टा करार की प्रति जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या म्युनिसिपल खाता प्रति या विद्युत बिल की प्रति</p> <p>(ग) उपरोक्त क और ख में न आने वाले परिसर के लिए –</p> <p>सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमति पत्र की प्रति जैसे म्युनिसिपल खाता प्रति या विद्युत बिल प्रति। साझेदार संपत्तियों के लिए ये दस्तावेज भी अपलोड किए जाएंगे</p>

4	बैंक खाते से संबंधित सबूत बैंक पासबुक/बैंक विवरण के प्रथम पृष्ठ की स्कैन की हुई प्रति बैंक पासबुक के शुरुआती पृष्ठ जिसमें मालिक/संबंधित कारबार, खाता संख्या, खाता धारक का नाम, एमआईसीआर और आईएफएससी और शाखा ब्यौर हों।
5	प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए – प्रबंध समिति या बोर्ड निदेशकों का प्राधिकरण पत्र या संकल्प की प्रति जो इस प्रभाव हेतु विनिर्दिष्ट हों

- सूचना इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के पश्चात् अपेक्षित होगी। निम्नलिखित व्यक्ति नामांकन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं -

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल हस्ताक्षर कर सकते हैं
स्वामित्व	स्वामी
साझेदारी	प्रबंध/प्राधिकृत साझेदार
हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समिति /क्लब /न्यास/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
लोक सैक्टर उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनलिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाविहित साझेदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
संवैधानिक निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	प्रभारी व्यक्ति

- आवेदन अनिवार्य रूप से डिजिटल हस्ताक्षरित निम्नलिखित रूप में होने चाहिए -

क्रम संख्या	आवेदक का प्रकार	डिजिटल हस्ताक्षर अपेक्षित हैं
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी लोक सैक्टर उपक्रम अनलिमिटेड कंपनी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वर्ग 2 और उपरोक्त

	सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वर्ग 2 और उपरोक्त ई-हस्ताक्षर

- टिप्पणी .—** 1. आवेदक से समान पोर्टल पर अपने डीएससी को रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित होगा ।  
2. ई-हस्ताक्षर सुविधा आधार धारकों के लिए समान पोर्टल पर उपलब्ध होगी ।

स्थायी लेखा संख्या, आधार, निदेशक, पहचान संख्या, चालान, पहचान संख्या, सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या से संबंधित सभी सूचनाएं सिस्टम द्वारा आनलाईन विधिमान्य किया जाएगा और पावती निदेश संख्या भरी गई सभी सूचनाओं के सफलतापूर्वक विधिमान्य होने के पश्चात् सृजित होंगी । आनलाईन भरे गए आवेदन की प्रास्थिति समान पोर्टल पर देखी जा सकेगी ।

1. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होना चाहिए ।
2. नामांकन के लिए आवेदन भरने हेतु कोई शुल्क लागू नहीं होगा ।

अभिस्विकृति

नामांकन आवेदन – जी. एस. टी. प्ररूप – आवेदन संदर्भ संख्या (ए. आर. एन.)----- के विरुद्ध फाइल की गई	
प्ररूप संख्या	: <.....-.....>
प्ररूप विवरण	: <विद्यमान करदाताओं के नामांकन के लिए आवेदन>
फाइल करने की तिथि	: <दिन/मास/वर्ष>
करदाता का व्यापारिक नाम	: <व्यापारिक नाम>

करदाता का विधिक नाम : <राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा विधिक नाम

अनंतिम पहचान संख्या	अनंतिम पहचान संख्या
यह सिस्टम से सृजित पावती है और इसमें हस्ताक्षर होना अपेक्षित नहीं है ।	

प्ररूप जीएसटी आरईजी-27  
/देखिए नियम 24(3)]

संदर्भ संख्या

&lt;तिथि-दिन/मास/वर्ष&gt;

सेवा में,  
अनंतिम पहचान  
नाम  
पता

आवेदन संदर्भ संख्या (ए.आर.एन.) &lt; &gt;

&lt;तिथि-दिन/मास/वर्ष&gt;

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कारण बताओ नोटिस

अपने आवेदन तिथि .....का संदर्भ लें। आवेदन का परीक्षण किया गया और निम्नलिखित कारणों से यह संतोषप्रद नहीं पाया गया:-

1

2

...

आपको यह निदेश दिया जाता है कि आपको प्रदत्त अनंतिम प्रमाणपत्र क्यों न रद्द कर दिया जाए, बताएं।

हस्ताक्षर

समुचित प्राधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता

तिथि

स्थान

## प्ररूप जीएसटी आरईजी-28

/देखिए नियम 24(3)]

संदर्भ संख्या

&lt;तिथि-दिन/मास/वर्ष&gt;&gt;

सेवा में,

पहचान

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या /अनंतिम पहचान

आवेदन संदर्भ संख्या (ए.आर.एन.) &lt; &gt;

&lt;तिथि-दिन/मास/वर्ष&gt;&gt;

## अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आदेश

कारण बताओ नोटिस तिथि..... के संबंध में आपके उत्तर तिथि ..... के संदर्भ में --

- कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया है; या
- सुनवाई के लिए नियत दिन पर आप उपस्थित नहीं हुए; या
- अधोहस्ताक्षरी ने आपके उत्तर और सुनवाई के समय किए गए कथनों का परीक्षण किया और उनका विचार यह है कि आपका अनंतिम रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने का दायी है।

1.

2.

## अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के अनुसरण में भुगतानायोग्य राशि का अवधारण

तदनुसार आपके द्वारा भुगतानयोग्य राशि और उसकी संगणना तथा उसके आधार निम्नलिखित हैं:

आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि निम्नलिखित राशि तिथि ..... तक या उससे पूर्व भुगतान करें जिसके असफल होने पर राशि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए हुए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में वसूल की जाएगी।

शीर्ष	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्य कर	समेकित कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
कुल					
तिथि:	हस्ताक्षर				
स्थान:	< अधिकारी का नाम >				
	पदनाम				
	अधिकारिता				

## प्ररुप जी.एस.टी. आरईजी-29

[देखिए नियम 24(4)]

## अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन

## भाग अ

(i) अनंतिम आई डी			
(ii) ईमेल आई डी			
(iii) मोबाईल नंबर			
<b>भाग आ</b>			
1. विधिक नाम (स्थाई खाता संख्या के अनुसार)			
2. पत्र-व्यवहार के लिए पता			
भवन संख्या/ फ्लैट संख्या		मंजिल संख्या	
परिसर का नाम/भवन		सड़क/गली	
शहर/कस्बा / गांव/परिक्षेत्र		जिला	
ब्लाक/ताल्लुका			
राज्य		3. रद्दकरण के लिए कारण	
1. जी.एस.टी अवधि के दौरान किसी कर बीजक को आपने जारी किया है हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>			
2. घोषणा (i) मैं <स्वत्वधारी/कर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>, <विधिक नाम> के <पदनाम > के रूप में इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन मैं रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं हूँ। 6. सत्यापन मैं < > सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि यहां उपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।			
आधार संख्या		स्थाई खाता संख्या	
प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर			
पूरा नाम			
पदनाम/हैसियत			
तिथि			
स्थान	तिथि/मास/वर्ष		



## प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-30

[देखिए नियम 25]

क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्ररूप

केन्द्रीय अधिकारिता (वार्ड/सर्किल/जोन)

अधिकारी का नाम:- <<पहले से भरा जाए >>		
रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि:-		
करादेय व्यक्ति का नाम		
जी एस टी आई एन/यू आई एन -		
द्वारा समनुदेशित कार्य:- < अधिकारी का नाम- पहले भरा जाए >		
समनुदेशित कार्य की तिथि और समय:- < प्रणाली तिथि और समय >		
क्रम संख्या	विशिष्टियां	ईनपुट
1.	निरीक्षण की तिथि	
2.	निरीक्षण का समय	
3.	अवस्थान ब्यौरा	
	उत्तर-द्वारा आबद्ध	दक्षिण- द्वारा आबद्ध
	पश्चिम- द्वारा आबद्ध	पूर्व- द्वारा आबद्ध
4.	क्या पता वहीं है जैसा आवेदन में वर्णित है	हां/नहीं
5.	निरीक्षण के समय उपलब्ध व्यक्ति की विशिष्टियां	
(i)	नाम	
(ii)	पिता का नाम	
(iii)	आवासीय पता	
(iv)	मोबाईल संख्या	
(v)	पदनाम/प्रतिष्ठा	
(vi)	करादेय व्यक्ति के साथ संबंध, यदि लागू हो	
6.	कारबार की कार्यकरण की प्रास्थिति	कार्यकरण- हां/नहीं
7.	परिसर का ब्यौरा	
8.	खुली जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग)	
9.	छत्तदार जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग)	
10.	तल जिस पर कारबार परिसर स्थित है	
11.	स्थापित दस्तावेज	हां/नहीं
12.	स्थान के साथ व्यक्ति, जो उस स्थान पर मौजूद है जहां स्थल का सत्यापन किया गया, का फोटो अपलोड करना।	
13.	टिप्पणी 1000 शब्दों<से अनधिक>	
	स्थान:	हस्ताक्षर
	तिथि:	< अधिकारी का नाम >
		पदनाम
		अधिकारिता

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।